प्रकाशन का गौरवाशाली 14वाँ वर्ष

दिव्य हिमगिरि

हिमालयी राज्यों की पहली साप्ताहिक पत्रिका

नज़र सब पर

वर्ष 14 | अंक 40 | मूल्य 15 रुपये | 23 फरवरी-01 मार्च, 2025

धामी सरकार के बजट में राज्य के विकास कार्यों को मिलेगी गति

दिल्ली में भी भाजपा ने बरकरार रखा 'नया सियासी ट्रेडमार्क'

उत्तराखंड का मूल स्वरूप बचाने के लिए धामी सरकार का 'सख्त भू-कानून'

वर्ष 14 | अंक 40

दिव्य हिमगिरि

23 फरवरी-01 मार्च, 2025

संपादक
कुँवर राज अस्थाना

वरिष्ठ संवाददाता
शंभूनाथ गौतम

ब्यूरो प्रमुख
मोनिका डबराल

विज्ञापन
पूनम आर्या

ग्राफिक डिजायनर
देव भट्ट

संवाददाता
हरिद्वार : डॉ. रजनीश गौतम
पौडी : रत्नमणि भट्ट
कोटद्वार : के.पी. बौंठियाल
रूद्रपुर : हेमचन्द्र बुडलाकोटी
चमोली : मुकेश रावत
रुड़की : श्रीगोपाल नारसन
नैनीताल : शीतल तिवारी
अल्मोड़ा : संजय कुमार अग्रवाल (एड.)
विकासनगर : अजय शर्मा
प्रसार : रमेश सिंह रावत

संपादकीय कार्यालय : 6, म्युनिसिपल रोड, बाला हिसार स्कूल के सामने, डालनवाला देहरादून (उत्तराखंड)
मोबाइल : +91 8433456398, 9410353164
Email: divyahimgiriddn@gmail.com

स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक एवं मुद्रक कुँवर बहादुर अस्थाना द्वारा सरस्वती प्रेस, 2, ग्रीन पार्क, निरंजनपुर, देहरादून से मुद्रित तथा 39/7 ई, ई. सी. रोड, (निकट मार्शल स्कूल सीनियर विंग) देहरादून-248001 उत्तराखण्ड से प्रकाशित।
संपादक: कुँवर बहादुर अस्थाना*

*(पीआरबी एक्ट के तहत प्रकाशित सामग्री के लिए उत्तरदायी)

सहजीवन संबंध भी समाज का हिस्सा

भारत में विवाह को स्त्री-पुरुष संबंध का मजबूत आधार माना जाता है। इसी से परिवार की नींव पड़ती है और हमारा समाज बनता है। इसके बरक्स अपने देश में सहजीवन को अभी तक सामाजिक मान्यता नहीं मिली है। अलबत्ता, ऐसे रिश्ते चुनने वाले युगलों पर कोई वैधानिक रोक नहीं है। लोकतांत्रिक समाज की इसे उदारता कह सकते हैं। फिर भी सहजीवन के विरोध और समर्थन में प्रायरू दलीलें दी जाती रही हैं। कई वर्ष पहले विवाह पंजीकरण विधेयक पारित होने के बाद भी सहजीवन को लेकर सवाल उठे थे और इसकी व्यावहारिकता पर प्रश्नचिह्न लगे थे। आखिरकार सहजीवन में रह रहे युगल भी समाज का ही हिस्सा होते हैं और जहां भी रहते हैं, वहां उन्हें सब देखते और जानते ही हैं। इस तरह उनका कुछ भी गोपनीय नहीं रहता। ऐसे ही एक युगल के तर्क पर उत्तराखंड उच्च न्यायालय की यह टिप्पणी गलत नहीं कि जब आप विवाह किए बिना साथ रहते हैं, तो सहजीवन का पंजीकरण आपकी निजता पर हमला कैसे हुआ? आप समाज में रह रहे हैं, न कि जंगल में। इसमें कोई दो मत नहीं कि अगर ऐसे किसी रिश्ते में गहरा समर्पण और एक-दूसरे पर भरोसा है, तो फिर डर कैसा? दरअसल, उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू होने के बाद सहजीवन का पंजीकरण अनिवार्य करने के खिलाफ एक याचिकाकर्ता ने सवाल उठाया है। आज की पीढ़ी को यह समझने की जरूरत है कि ऐसे रिश्ते के लिए यह कानूनी व्यवस्था क्यों करनी पड़ी? ऐसा क्यों लगता है कि सहजीवन से विवाह संस्था को खतरा है। क्या कोई भी समाज परिवार बनाने और बचाने की भावना को कमजोर होते देख सकता है? वहीं स्त्रियों की सुरक्षा भी बड़ा मुद्दा है। सहजीवन में रह रहीं कई महिलाओं से मारपीट और घरेलू हिंसा के मामले सामने आने के बाद भारतीय समाज में चिंता बढ़ी है। सहजीवन में जन्मी संतानों और उनकी मांओं के कानूनी अधिकार को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ऐसे में इस तरह के रिश्ते के पंजीकरण से भला क्यों परहेज होना चाहिए? यह अजीब बात है कि हम आधुनिकता की अंधी गलियों में आंखें मूंदे क्यों भटक रहे हैं। विवाह का पंजीकरण अनिवार्य करने के कानून ने एक तरह से महिलाओं के अधिकार सुनिश्चित करने के लिए संविधान में दिए गए प्रावधान की ही पुष्टि की है। मगर देश में पारिवारिक और सामाजिक ढांचा जिस तेजी से बदल रहा उससे सहजीवन का चलन अब कस्बों तक पहुंच गया है। ऐसे रिश्तों की वैधानिकता और व्यावहारिकता पर कानूनी बहस छिड़ने के अलावा व्याख्या भी शुरू हो गई है। पांच साल पहले सुप्रीम कोर्ट के सामने सहजीवन और उसका हिस्सा बनी महिला के अधिकारों का मामला आया तो शीर्ष अदालत ने कुछ शर्तों के साथ सहजीवन को मान्यता दे दी। सहजीवन को अपराध या पाप की परिभाषा से दूर रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में संसद से सहजीवन संबंध निभाने वाली महिलाओं और सहजीवन से जन्मे बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए कानून बनाने को कहा। सहजीवन संबंध को घरेलू हिंसा विरोधी कानून के तहत लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिशा निर्देश भी दिए। मामला सहजीवन से जुड़ी महिला के रिश्ता खत्म हो जाने के बाद पुरुष से गुजारा भत्ता मांगने का था। जब सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले में स्त्रियों की सुरक्षा और उनके अधिकारों को समय-समय पर रेखांकित कर रहा है तो यदि किसी एक राज्य की सरकार ने सहजीवन के पंजीकरण को अनिवार्य बना दिया है तो इसमें इतनी बैचेनी क्यों?

कुँवर राज अस्थाना

100 से अधिक पदक जीतने का दावा करने वाली सरकार, विजेताओं के मूल निवास का खुलासा करें

यशपाल आर्य
नेता प्रतिपक्ष

राष्ट्रीय खेल का आयोजन राज्य के लिए सम्मान होता है। हम सभी की जिम्मेदारी है कि, यदि हमारे प्रिय राज्य उत्तराखण्ड के सम्मान की बात आए तो हमको सारे राजनैतिक मतभेद भुलाते हुए उन आयोजनों को सफल करना चाहिए।

इसलिए खेल के आयोजन तक हमने जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभाते हुए कुछ नहीं कहा। लेकिन मेरा साफ आरोप है कि, राष्ट्रीय खेलों में महाघोटाले हुए हैं। कुछ कम्पनियों, नेताओं और अधिकारियों ने जमकर चांदी काटी है। समय के साथ हम उन सभी को बेनकाब करेंगें। इन आयोजनों में राज्य के मूल निवासी और अर्जुन पुरस्कार विजेताओं को तक नहीं बुलाया गया। रोइंग में अर्जुन पुरस्कार विजेता चमोली के सुरेन्द्र सिंह कनवासी ने वीडियो पोस्ट करके आरोप लगाया कि, राज्य के खिलाड़ियों, खेल प्रशिक्षकों और पूर्व खिलाड़ियों को न तो बुलाया गया और न ही अनका कोई योगदान लिया गया। सरकार ने ये राष्ट्रीय खेलों के आयोजन का काम अपनी पार्टी के एक बड़े नेता के परिवार की कम्पनी को पिछले दरवाजे से दिया और कुछ अधिकारियों के परिवारों से जुड़ी कम्पनियों ने भी इस आयोजन में काफी चांदी काटी है। सरकार ने बताया कि, इन खेलों का आयोजन राज्य के विभिन्न स्थानों पर किया गया। मेरा साफ आरोप है कि, राज्य के कई महत्वपूर्ण स्थानों को राष्ट्रीय खेलों के आयोजन से दूर रखा गया है।

पौड़ी का रांसी स्टेडियम देश में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित स्टेडियम है। वहां सरकार ने कोई भी खेल आयोजित नहीं किया। सरकार अगर चाहती तो राष्ट्रीय खेलों के बहाने देश भर के खिलाड़ियों, कोचों और खेल संघो का परिचय पौड़ी के रांसी स्टेडियम से कराते। ताकि आने वाले सालों में वहां साल भर अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में भाग लेने जाने से पहले देश भर के खिलाड़ियों के प्रशिक्षण शिविर आयोजित किये जा सकते थे। राज्य में इससे कई रोजगार पैदा होते और यहां के खिलाड़ियों का सम्पर्क देश के प्रतिभावान खिलाड़ियों से होता। लेकिन आपकी सरकार ने ये अवसर चुका दिया।

बिजिंग एशियाई खेलों से पहले देश की कयाकिंग सलालम टीम का प्रशिक्षण रुद्रप्रयाग जिले के चन्द्रापुरी में हुआ था। विदेशी कोच ने मंदाकिनी प्रतब बनायें सलालम कोर्स को देश का सबसे अच्छा सलालम कोर्स बताया था। लेकिन वहां इस इवैंट को नहीं किया गया। सरकार ने कई जिलों और खेलों के लिए मुफीद कई स्थानों को ही नहीं छोड़ा बल्कि राज्य के मूल निवासी खिलाड़ियों और खेल विशेषज्ञों को भी छोड़ दिया।

सरकार 100 से अधिक पदकों को लाने का दावा कर रही है सरकार को पदक जीतने वाले उन सभी खिलाड़ियों के मूल निवास भी बताने चाहिए। मेरा आरोप है कि, क्योंकि इन बाहरी राज्य के खिलाड़ियों ने उत्तराखण्ड का प्रतिनिधित्व कर लिया है अब भविष्य में राज्य में खेल कोटे से भी इन्ही बाहरी राज्यों के खिलाड़ियों की नौकरी लगेगी। अब इन पदकों के लिए मिलने वाले पुरस्कार की धनराशि भी दूसरे राज्य के खिलाड़ियों के खाते में जायेगी।

पहली बार देखा जा रहा है कि, राज्य सरकार पुलिस व्यवस्था, टैक्स लेना और पर्यावरण संरक्षण जैसे राज्य के कामकाज को निजी कंपनियों को दे रही हैं? उत्तराखण्ड में सरकार ने रिवरबेड माइनिंग (नदी के तल में खनन) करने वालों से रॉयल्टी और दूसरे टैक्स वसूलने और अवैध खनन पर लगाम लगाने का कार्य और शक्तियां निजी हाथों में सौंप दी हैं। बल्कि सरकार खनन के मामले में एक कदम और आगे बड़ गई है सरकार ने नियम बनाया है कि, जो निजी कंपनी रिवरबेड माइनिंग से टैक्स वसूलेगी उसे नदियों में खनन करने के लिए दूसरी कंपनियों की तुलना में प्राथमिकता दी जाएगी।

खनन रॉयल्टी संग्रह का काम के लिए हैदराबाद स्थित निजी कंपनी पावर मेक प्रोजेक्ट्स लिमिटेड को आउटसोर्स किया गया है। ये कंपनी ने चार बड़े जिलों– नैनीताल, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और देहरादून में पांच सालों तक रॉयल्टी इकट्ठा करेगी। कंपनी राज्य को इस काम के बदले 303.52 करोड़ रुपए देगी। बाकी लाभ का सारा पैसा कंपनी के खाते में जायेगा।

निजी कंपनी स्थानीय माइनरों और ट्रांसपोर्टरों से रॉयल्टी वसूल करेगी। क्या इससे अत्यधिक खनन नहीं होगा? क्योंकि निजी कंपनी सरकार को दी गई धनराशि वसूलने के साथ ऊपर से बड़ा मुनाफा भी कमाना चाहेगी। इस कार्य को निजी हाथों में देना वैसा ही है जैसे एक पुलिस स्टेशन के काम के लिए निजी कंपनी को आउटसोर्स करना। यदि यही गति रही तो सरकार थाने भी ठेके पर दे देगी। पेपर लीक माफिया, खनन माफिया, भू माफिया... इन सब पर तो सरकार ने ध्यान देना ही बंद कर दिया है। आज राज्य के प्राकृतिक संसाधनों के आकर्षक व्यापार पर दूसरे राज्यो से आए लोग कब्जा कर रहे हैं और उत्तराखंड का मूल निवासी अपने जल जंगल ज़मीन को दोनों हाथो से लूटते देख रहा है।

उत्तराखंड का मूल स्वरूप बचाने के लिए धामी सरकार का 'सख्त भू-कानून'

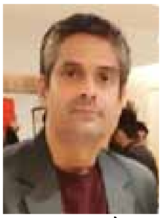

शंभू नाथ गौतम
वरिष्ठ पत्रकार

19 फरवरी को कैबिनेट की बैठक में धामी सरकार ने सख्त भू कानून विधेयक को मंजूरी दे दी है। 21 फरवरी को विधानसभा सदन में भू कानून संशोधन विधेयक पारित कर दिया गया। धामी सरकार के इस सख्त भू-कानून के बाद प्रदेश में लंबे समय से हो रही जमीनों की अंधाधुंध खरीद-फरोख्त में कमी आएगी। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने के बाद सीएम धामी ने सख्त भू कानून पर बड़ा फैसला लिया। जिसके तहत दूसरे राज्यों के लोग वहां खेती-किसानी की जमीन नहीं खरीद सकेंगे। राज्य के बाहर के लोगों को घर बनाने के लिए निकाय क्षेत्रों से बाहर 250 वर्ग मीटर जमीन खरीदने की अनुमति होगी, लेकिन एक परिवार का एक सदस्य जीवन में एक बार ही भूमि खरीद सकेगा। भूमि खरीद के समय यह शपथपत्र देना अनिवार्य होगा कि उसके या उसके परिवार के किसी भी सदस्य ने भूमि नहीं खरीदी है। नगर निकाय सीमा के अंतर्गत आने वाली भूमि का उपयोग केवल निर्धारित भू उपयोग के अनुसार ही किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा- देवभूमि की सांस्कृतिक विरासत, पर्यावरण संतुलन और आमजन के अधिकारों की रक्षा हेतु सख्त भू-कानून आवश्यक था।

कोई द्वेष भावना नहीं। सभी अपने हैं। चाहे पहाड़ के हों या बाहरी हों। लेकिन इसके साथ यह भी जरूरी है कि कहीं ऐसा न हो जाए कि हम अपनी ही भूमि (देवभूमि) में 'किराएदार' बनकर रह जाएं। क्योंकि इस प्रदेश (उत्तराखंड) के निर्माण में लंबी लड़ाई के साथ कुर्बानियां भी दीं हैं। हाल के कुछ वर्षों में उत्तराखंड में नियमों को ताक पर रख भूमि बेची जा रही थी उससे प्रदेश का 'अस्तित्व' ही संकट में आ गया था। इसे देखते हुए 'भू कानून' लाना जरूरी था। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पिछले तीन दिनों (19 से 21 फरवरी) के बीच बजट सत्र के दौरान विधानसभा सदन में अपने संबोधन और सोशल मीडिया पर भू-कानून को लेकर ट्वीट करते हुए यही संदेश दिया है। मुख्यमंत्री का कहना है कि हम पहाड़ी, मैदानी या बाहरी लोगों के विरोधी नहीं है बल्कि भूमाफियाओं पर अंकुश लगाना है, जो प्रदेश का अस्तित्व खत्म करने में लगे हुए हैं। धामी सरकार के इस सख्त भू-कानून के बाद प्रदेश में लंबे समय से हो रही जमीनों की अंधाधुंध खरीद-फरोख्त में कमी आएगी। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने के बाद सीएम धामी ने सख्त भू कानून पर बड़ा फैसला लिया। जिसके तहत दूसरे राज्यों के लोग वहां खेती-किसानी की जमीन नहीं खरीद सकेंगे। प्रदेश में सख्त भू कानून लाने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कई महीनों से तैयारी कर रहे थे। पिछले साल मुख्यमंत्री ने इस विधेयक को बजट सत्र के दौरान लाने की घोषणा भी की थी। 18 फरवरी से उत्तराखंड का बजट सत्र शुरू हुआ। 19 फरवरी को आयोजित कैबिनेट की बैठक में धामी सरकार ने सख्त भू कानून विधेयक को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता

वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के पहाड़-मैदान को लेकर दिए गए बयान पर विपक्ष ने कड़ी आपत्ति जताई

शुक्रवार 21 फरवरी को भू कानून संशोधित विधेयक पारित होने के दौरान वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के बयान पहाड़-मैदान को लेकर विपक्षी विधायकों ने कड़ी आपत्ति जताई। जिसको लेकर सदन में हंगामा भी हुआ। सदन में संसदीय कार्यमंत्री के बयान पर विपक्ष ने हंगामा कर दिया। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने संसदीय कार्यमंत्री प्रेमचंद अग्रवाल पर असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष से कार्रवाई करने की मांग की। वहीं कांग्रेस विधायक मदन बिष्ट ने पहाड़ियों के साथ सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया था। शनिवार को कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद ने सफाई भी दी। वित्त मंत्री डॉ. प्रेमचंद अग्रवाल ने खेद प्रकट किया है। उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड में रह रहे सभी लोग उनके परिवार हैं। परिवार के लोगों के समक्ष अनजाने में कही गई बात के लिए खेद प्रकट करने में उन्हें संकोच नहीं है। सदन के भीतर उनके द्वारा कही गई बात को तोड़ मरोड़कर पेश किया जा रहा है। मैंने कहा था कि सारे उत्तराखंड में देश के सभी हिस्सों के लोग रहते हैं। हम सभी उत्तराखंड के हैं और उत्तराखंड हमारा है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड हमारे हृदय में समाया है। मैंने सारे उत्तराखंड की बात की थी। मेरे बयान में सारे शब्द को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मेरी बात से कई लोगों की भावनाएं आहत हो गई हैं, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। मेरी वजह से किसी को पीड़ा पहुंचे यह मेरा स्वभाव नहीं है। इसलिए जाने अनजाने जिस किसी को भी पीड़ा पहुंची है उसके लिए मैं हृदय से खेद व्यक्त करता हूं। उन्होंने कहा मुझे बहुत दुख है कि आज सदन में मुझे यह कहना पड़ रहा है कि मैं उत्तराखंड में हूं। उन्होंने कहा- मेरा जन्म यहीं हुआ है, इसका प्रूफ देने की मुझे जरूरत पड़ी तो वह भी दूंगा। संसदीय कार्यमंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के क्षेत्रवाद के बयान पर प्रदेशभर के लोगों ने आक्रोश जताया है।

में हुई कैबिनेट बैठक में सख्त भू-कानून विधेयक पर मुहर लगा दी है। 21 फरवरी को विधानसभा सदन में भू कानून संशोधन विधेयक पारित कर दिया गया। इस कानून को पारित करने के बाद धामी सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है। वहीं, विपक्ष भी विरोध नहीं कर रहा है। राज्य में इस भू-कानून के पारित होते ही भूमि खरीद से जुड़े नए नियम लागू हो जाएंगे। भू-कानून को मंजूरी मिलने के बाद वर्ष 2018 के सभी प्रावधान निरस्त हो जाएंगे। इसके साथ ही बाहरी व्यक्तियों की भूमि खरीद पर भी प्रतिबंध लग जाएगा। उत्तराखंड बनने के बाद से ही बाहरी लोगों द्वारा जमीनों की अंधाधुंध खरीद विवादित मुद्दा रहा है। इसे देखते हुए 2003 में नारायण दत्त तिवारी सरकार ने प्रदेश के बाहर के लोगों पर पर्वतीय क्षेत्रों में जमीन खरीदने पर 500 वर्गमीटर की सीमा लागू कर दी थी। साथ ही 12.5 एकड़ तक कृषि भूमि खरीद की अनुमति देने का अधिकार डीएम को दिया गया। वर्ष 2007 में भुवन चंद्र खंडूरी ने 500 वर्ग मीटर की सीमा को घटाकर 250 वर्गमीटर किया गया। लेकिन 2018 में त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार ने 250 वर्गमीटर की सीमा को समाप्त कर दिया था। सख्त भू कानून लागू होने के बाद अनियंत्रित भूमि खरीद बिक्री पर रोक लग जाएगी और राज्य के मूल स्वरूप भी सुरक्षित रहेंगे।

उत्तराखंड के 11 जिलों में बाहरी राज्यों के लोग खेती और बागवानी की भूमि नहीं खरीद सकेंगे

उत्तराखंड के 11 जिलों में बाहरी राज्यों के लोग हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर की भूमि नहीं खरीद पाएंगे। संशोधित कानूनों के तहत, राज्य की राजधानी देहरादून के साथ-साथ पौडी गढ़वाल, टेहरी गढ़वाल, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, नैनीताल, पिथौरागढ, चंपावत, अल्मोडा और बागेश्वर जिलों में कृषि भूमि खरीद पर पूर्ण प्रतिबंध लागू होगा। हालांकि, हरिद्वार और उधम सिंह नगर जिलों में कृषि/बागवानी भूमि की खरीद की अनुमति होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड विधानसभा में भू-कानून को अधिक सशक्त करते हुए ऐतिहासिक संशोधन विधेयक पास किया गया। देवभूमि की सांस्कृतिक विरासत, पर्यावरण संतुलन और आमजन के अधिकारों की रक्षा हेतु सख्त भू-कानून नितांत आवश्यक था। उन्होंने कहा कि यह कानून प्रदेश के हितों को सर्वोपरि रखते हुए अनियंत्रित भूमि खरीद-बिक्री पर रोक लगाएगा और राज्य के मूल स्वरूप को सुरक्षित रखेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह महत्वपूर्ण निर्णय उत्तराखण्ड की जनता की भावनाओं और आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। हमारी सरकार देवभूमि के सम्मान, संस्कृति और प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हम कभी भी उनके विश्वास को टूटने नहीं देंगे। सदन में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने विधेयक में अनेक खामियां बताते हुए विधेयक को जल्दबाजी में पारित करने की बजाय उसे प्रवर समिति को सौंपने और एक महीने में रिपोर्ट मांगने की मांग की। मंगलौर के कांग्रेस विधायक काजी निजामुद्दीन ने भी इस मांग का समर्थन किया और कहा कि इस विधेयक के कुछ प्रावधान भू-माफिया को 'पिछले दरवाजे से प्रवेश' का मौका

दे सकते हैं। कांग्रेस सदस्यों की चिंताओं का जवाब देते हुए सीएम धामी ने कहा कि विधेयक को सभी हितधारकों के साथ विभिन्न स्तरों पर विचार विमर्श के बाद तैयार किया गया है और इसमें बेहतरी के लिए सुझावों की गुंजाइश भी है।

प्रदेश में अब भू-कानून लागू होने के बाद जमीन खरीदने के लिए होंगे कड़े नियम

9 नवंबर साल 2000 को उत्तर प्रदेश से बंटकर अलग राज्य बनने तक उत्तराखंड में जमीन खरीदने पर कोई रोकटोक नहीं थी। यहां तक कि स्टेट बनने के बाद भी इसपर खास एतराज नहीं लिया गया। नतीजा ये हुआ कि बाहरी लोग यहां आने और सस्ती जमीनें खरीदकर अपने मुताबिक इस्तेमाल करने लगे। धीरे-धीरे पहाड़ों के लोग परेशान होने लगे। चूंकि यहां टूरिज्म बहुत ज्यादा है, लिहाजा बाहरी लोग फार्म हाउस, होटल और रिजॉर्ट्स बनाने लगे हालात ये हुए कि स्थानीय लोगों को खेती के लिए जमीन कम पड़ने लगी। प्रदेश में लंबे समय से भू-कानून को लेकर मांग उठ रही थी। पिछले साल ही सरकार ने नया कानून लाने का फैसला किया। इसके लिए एक हाई लेवल कमेटी बनाई गई, जिसका काम मौजूदा लैंड लॉ को देखना और नए सिरे से उस पर रिपोर्ट तैयार करना था। कमेटी की सिफारिश पर सरकार ने नया ड्राफ्ट बनाया, जिसमें कई बदलाव हुए जिससे राज्य में खेती की जमीनों को सुरक्षित रखा जा सके। इस बार उत्तराखंड बजट सत्र में धामी सरकार ने प्रदेश में भू कानून विधेयक विधानसभा से पारित कर दिया। वहीं धामी सरकार ने 2018 में तत्कालीन त्रिवेंद्र सरकार के 12.50 एकड़ से अधिक भूमि खरीद के प्रावधान को भी समाप्त कर दिया। इस कानून के लागू होने के बाद राज्य से बाहर के लोग हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर जिले को छोड़ बाकी 11 जिलों में कृषि और बागवानी की भूमि नहीं खरीद पाएंगे।

भूमि खरीद की अनुमति में जिलाधिकारी के अधिकार को सीमित कर दिया है। अब जिलाधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से भूमि खरीद की अनुमति देने का अधिकार नहीं होगा। भूमि खरीद की अनुमति अब शासन ही देगा।

सभी मामलों में सरकार के बनाए गए पोर्टल के माध्यम से प्रक्रिया पूरी करनी होगी। राज्य के बाहर के लोगों को घर बनाने के लिए निकाय क्षेत्रों से बाहर 250 वर्ग मीटर जमीन खरीदने की अनुमति होगी, लेकिन एक परिवार का एक सदस्य जीवन में एक बार ही भूमि खरीद सकेगा।

भूमि खरीद के समय यह शपथपत्र देना अनिवार्य होगा कि उसके या उसके परिवार के किसी भी सदस्य ने भूमि नहीं खरीदी है। नगर निकाय सीमा के अंतर्गत आने वाली भूमि का उपयोग केवल निर्धारित भू उपयोग के अनुसार ही किया जा सकेगा। यदि किसी व्यक्ति ने नियमों के खिलाफ जमीन का उपयोग किया तो वह जमीन सरकार में निहित हो जाएगी। विधेयक में यह प्रावधान भी किया गया है कि सभी जिलाधिकारियों को राजस्व परिषद और शासन को नियमित रूप से भूमि खरीद से जुड़ी रिपोर्ट सौंपनी होगी। कृषि भूमि का भू-उपयोग परिवर्तन तभी संभव होगा, जबकि सरकार इसकी अनुमति देगी। कृषि भूमि पर प्लॉटिंग करने वालों पर हो सकेगी कड़ी कार्रवाई। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीते कुछ वर्षों में देखा जा रहा था कि प्रदेश में लोगों द्वारा विभिन्न उपक्रम के माध्यम से स्थानीय लोगों को रोजगार देने के नाम पर जमीनें खरीदी जा रही थी। उन्होंने कहा कि भू प्रबंधन एवं भू सुधार कानून बनने के बाद इस पर पूर्ण रूप से लगाम लगेगी। इससे असली निवेशकों और भू माफियाओं के बीच का अंतर भी साफ होगा। राज्य सरकार ने बीते वर्षों में बड़े पैमाने पर राज्य से अतिक्रमण हटाया है। वन भूमि और सरकारी भूमियों से अवैध अतिक्रमण हटाया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आवासीय परियोजन के लिए 250 वर्ग मीटर भूमि क्रय हेतु शपथ पत्र अनिवार्य कर दिया गया है। शपथ पत्र गलत पाए जाने पर भूमि राज्य सरकार में निहित की जाएगी। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों के अंतर्गत थ्रस्ट सेक्टर एवं अधिसूचित खसरा नंबर भूमि क्रय की अनुमति जो कलेक्टर स्तर से दी जाती थी, उसे समाप्त कर, अब राज्य सरकार के स्तर से दी जाएगी।

राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी ने कैबिनेट मंत्री का पुतला फूंका, मांगा इस्तीफा

राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल पर विधानसभा में उत्तराखंड के निवासियों के लिए अपशब्द का प्रयोग करने का आरोप लगाते हुए देहरादून विधानसभा के निकट नेहरू कालोनी चौराहे पर जमकर नारेबाजी करते हुए कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का पुतला फूंका साथ ही मुख्यमंत्री से प्रेमचंद अग्रवाल को तत्काल

मंत्री पद से हटाने की मांग की। यहा रीजनल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवप्रसाद सेमवाल के नेतृत्व में एकत्रित हुए दर्जनों कार्यकर्ताओं ने नेहरू कालोनी चौराहे पर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल पर विधानसभा में उत्तराखंड के निवासियों के लिए अपशब्द का प्रयोग करने का आरोप लगाते हुए कैबिनेट मंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की जिसके बाद आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने प्रेमचंद अग्रवाल का पुतला दहन किया। इस मौके पर रीजनल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवप्रसाद सेमवाल ने कहा कि जिस प्रकार से विधानसभा में ऋषिकेश के विधायक व मंत्री अग्रवाल ने उत्तराखंड के नागरिक के लिए अपशब्द का प्रयोग किया है, उससे प्रदेश का हर नागरिक शर्मिंदा है। उन्होंने कहा कि मंत्री अग्रवाल सत्ता के नशे में चूर होकर अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा विधायक सत्ता की हनक में अपनी वाणी पर संयम भी खो चुके हैं। जिसकी हम निंदा करते हैं तथा राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी इसका पुरजोर विरोध करती हैं। प्रदेश अध्यक्ष सुलोचना ईष्टवाल ने कहा कि जब तक कैबिनेट मंत्री अग्रवाल को पद से हटाया नहीं जाता तब तक विरोध जारी रहेगा। उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग करते हुए कहा कि प्रदेश की जनभावनाओं को देखते हुए कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को तत्काल मंत्री पद से हटाया जाए।

इस अवसर पर राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी के संरक्षक सुरेश चंद्र जुयाल, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संजय डोभाल, विनोद कोठियाल, सुरेंद्र चौहान, प्रांजल नौडियाल, प्रमोद काला, पंकज उनियाल, मनोज कोठियाल विजय उनियाल, दयानंद मनोरी, शांति चौहान, मीना थपलियाल, शशि रावत, शोभित भद्री, मंजू बहुगुणा, रेनू नवानी, सुमन रावत आदि तमाम कार्यकर्ता शामिल थे।

धामी सरकार के बजट में राज्य के विकास कार्यों को मिलेगी गति

उत्तराखंड की धामी सरकार ने पहली बार एक लाख करोड़ रुपए से अधिक का बजट पेश किया है। इस वित्तीय वर्ष के 1 लाख 1 हजार 175 करोड़ 33 लाख का बजट पेश हुआ है। सदन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने सात बिंदुओं पर विशेष ध्यान दिया है जिनमें कृषि, ऊर्जा, अवसंरचना, संयोजकता, आयुष, कृषि व पर्यटन शामिल हैं। यह बजट राज्य की आर्थिक दिशा और नीतियों का प्रमाण है। उन्होंने आगे कहा कि यह बजट राज्य की आर्थिक दिशा और नीतियों को दर्शाता है। इस बढ़ोतरी से राज्य में विकास कार्यों को गति मिलने की उम्मीद है।

उत्तराखंड की धामी सरकार ने गुरुवार, 20 फरवरी को विधानसभा में साल 2025 26 का बजट पेश किया। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने उत्तराखंड में पहली बार एक लाख करोड़ रुपए से अधिक का बजट पेश किया है। इस वित्तीय वर्ष के 1 लाख 1 हजार 175 करोड़ 33 लाख का बजट पेश हुआ है। सदन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने सात बिंदुओं पर विशेष ध्यान दिया है जिनमें ख्रषि, ऊर्जा, अवसंरचना, संयोजकता, आयुष, ख्रषि व पर्यटन शामिल हैं। यह बजट राज्य की आर्थिक दिशा और नीतियों का प्रमाण है। उन्होंने आगे कहा कि यह बजट राज्य की आर्थिक दिशा और नीतियों को दर्शाता है। इस बढ़ोतरी से राज्य में विकास कार्यो को गति मिलने की उम्मीद है। सबसे बड़ी बात है कि राज्य सरकार ने जो कर्ज लिया है उसकी अदायगी पर 26,005.66 करोड़ खर्च होंगे। जबकि लिए गए ;ण के ब्याज भुगतान के रूप में 6,990.14 करोड़ का भुगतान करना होगा। इसके अलावा राज्य कर्मचारियों के वेतन और भत्तों पर 18197 करोड़ से ज्यादा का खर्च होंगे। अन्य कर्मचारियों के वेतन-भत्तों पर 1,447.26 करोड़ जबकि पेंशन पर 9,917.40 करोड़ खर्च होंगे।बजट को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि रजत जयंती बस पर बजट पेश करने के लिए वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को बधाई दी उन्होंने कहा कि यह बजट हमारी प्राथमिकता और उनके संकल्पना को प्रदर्शित करता है।सरकार के आगामी रोड मैप और विकास कार्य को यह बजट प्रदर्शित करता है। इस बार राज्य सरकार का बजट एक लाख करोड़ की आंकड़े को पार कर गया है जो पिछले वर्ष की अपेक्षा 13 परसेंट अधिक है।बजट में इकोलक्रजी इनोवेशन के साथ-साथ टेक्नोलक्रजी और अकाउंटेबिलिटी को ध्यान में रखकर बनाया गया है। बजट में परिवहन किस रोजगार युवा महिला सशद्रिकरण समेत सभी कार्य के लोगों को ध्यान में रखा गया है।खासकर गरीब,युवा,नारी और अन्नदाता को यह बजट समर्पित किया गया है। इसके अलावा बजट में शिक्षा ग्रामीण विकास इंफ्रस्ट्रक्चर और अन्य तमाम सुविधाओं को भी ध्यान में रखा गया है बजट में सभी के लिए सभी संभावनाएं प्रदर्शित की गई है यह बजट सबका साथ सबका ब्विास आधारित बजट है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ की भूमि से कहा था कि 21वीं शदी का दशक उत्तराखंड का दशक होगा। इस वचन को ध्यान में रखकर इस बजट को बनाया गया है।उत्तराखंड सरकार का यह बजट राज्य की समग्र आर्थिक उन्नति और समावेशी विकास को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। इसमें आधारभूत संरचना, पर्यावरण संरक्षण, पर्यटन, उद्योग, ख्रषि और सामाजिक कल्याण को प्राथमिकता दी गई है। सरकार आत्मनिर्भर उत्तराखंड की दिशा में निरंतर प्रयासरत है।

उत्तराखंड की धामी सरकार के पेश किए गए बजट की यह है विशेषताएं

उत्तराखंड राज्य में प्रथम बार एक लाख करोड़ रुपये से अधिक का आय व्ययक प्रस्तुत किया गया। एमएसएमई उद्योगों के लिए 50 करोड़ रुपये। मेगा इंडस्ट्री नीति के लिए 35 करोड़ रुपये स्टार्टअप उद्यमिता प्रोत्साहन के लिए 30 करोड़ रुपये। मेगा प्रोजेक्ट योजना के तहत 500 करोड़ रुपये । जमरानी बांध के लिए 625 करोड़ रुपये। सौंग बांध के लिए 75 करोड़ रुपये। लखवाड़ परियोजना के लिए 285 करोड़ रुपये। राज्यों के लिए विशेष पूंजीगत सहायता के तहत 1500 करोड़ रुपये।। जल जीवन मिशन के लिए 1843 करोड़ रुपये। नगर पेयजल के लिए 100 करोड़ रुपये। 220 किमी नई सड़कों का निर्माण।1000 किमी सड़कों का पुनर्निर्माण। 1550 किमी मार्ग नवीनीकरण । 1200 किमी सड़क सुरक्षा कार्य। 37 नए।पुलों का निर्माण। पीएमजीएसवाई के तहत 1065 करोड़ रुपये। बस अड्डों के निर्माण के लिए 15 करोड़ रुपये।नागरिक उड्यन विभाग को 36.88 करोड़ रुपये। टिहरी झील के विकास के लिए 100 करोड़ रुपये। मानसखंड योजना के विकास के लिए 25 करोड़ रुपये। वाइब्रेंट विलेज योजना के लिए 20 करोड़ रुपये। नए पर्यटन स्थलों के विकास के लिए 10 करोड़ रुपये। चारधाम मार्ग सुधारीकरण के लिए 10 करोड़ रुपये। इकोलक्रजी और इकोनक्रमी का संतुलन। सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने पर जोर। स्वच्छ पर्यावरण और प्राख्रतिक संसाधनों का संरक्षण। कैम्पा योजना के लिए 395 करोड़ रुपये

जलवायु परिवर्तन शमन के लिए 60 करोड़ रुपये। स्प्रिंग एंड रिवर रेजुबिनेशन प्राधिकरण द्धसाराद्ध के लिए 125 करोड़ रुपये। सार्वजनिक वनों के सृजन हेतु 10 करोड़ रुपये। सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लिए 1811.66 करोड़ रुपये। विभिन्न योजनाओं में सब्सिडी के लिए 918.92 करोड़ रुपये।

अन्नपूर्ति योजना के लिए 600 करोड़ रुपये। प्रधानमंत्रे आवास योजना द्धग्रामीण ाऋ के लिए 207.18 करोड़ रुपये । प्रधानमंत्रे आवास योजना द्धशहरीऋ के लिए 54.12 करोड़ रुपये। ईडब्ल्यूएस आवास अनुदान के लिए 25 करोड़ रुपये। निर्धन परिवारों के लिए रसोई गैस पर अनुदान 55 करोड़ रुपये। पर्यावरण मित्र बीमा के लिए 2 करोड़ रुपये। परिवहन निगम की बसों में फ्री यात्र के लिए 40 करोड़ रुपये। राज्य खाद्यान्न योजना के लिए 10 करोड़ रुपये। अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को सस्ती दरों पर नमक उपलब्ध कराने के लिए 34.36 करोड़ रुपये दिए गए हैं।

विकासशील, समावेशी, सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास व सबका विकास वाला जनहित का राज्य बजट 2025-26: डा. नरेश बंसल

भाजपा राष्ट्रीय सह-कोषाध्यक्ष व सासंद राज्यसभा डा. नरेश बंसल ने प्रथम बार एक लाख करोड़ से अधिक के आय व्ययक बजट पर हर्ष व्यक्त किया है व इसे आत्मनिर्भर उत्तराखंड के देश के अग्रणी राज्य बनने का रोडमैप बताया।

डा. नरेश बंसल ने कहा कि आदरणीय प्रधानसेवक नरेंद्र भाई मोदी जी के मार्गदर्शन व यशस्वी युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व मे उत्तराखंड मे नित नए विकास के काम हो रहे है। भाजपा जो जनता से वादा करती है उसे पूरा करती है व विकास करती है।

डा. नरेश बंसल ने कहा कि उत्तराखंड का यह बजट राज्य के चौमुखी विकास का बजट है,गरीब, युवा, किसान और महिलाओ को समर्पित इस बजट मे कृषि, उद्योग, उर्जा, पर्यटन, आयुष, अवसंरचना व संयोजकता पर फोकस किया गया है। यह राज्य को देश के अग्रणी राज्यो मे शामिल करने मे मिल का पत्थर साबित होगा।

राज्य के विकास के लिए इसमे बहुत से प्रावधान किए गए है जैसे सड़क व पुलो के लिए जिसमे 37 नए पुल, लगभग 4000 किमी सड़क जिसमे नवीन सड़के, उनका रखरखाव व सुरक्षा इंतजाम के लिए बजट दिया गया है। जल जीवन मिशन व नगरीय जल व्यवस्था को बेहतर बनाने को लगभग 2000 करोड का बजट है। जमरानी, सोंग व लखवाड प्रयोजनार्थ लगभग 1000 करोड का बजट आवंटन है। स्टार्टअप्स, ग्रामीण रोजगार, जलवायु परिवर्तन की रोकथाम,महिलाओ के लिए नन्दा गौरी, मातृत्व वंदन, वात्सल्य योजना आदी के लिए लगभग 500 करोड़ का बजट दिया गया है। अवस्थापना निर्माण के अंतर्गत पूंजीगत परिव्यय में रू.14763.13 करोड़, जलवायु परिवर्तन शमन हेतु-रू. 60 करोड़, खेल महाकुम्भ के आयोजन हेतुः रू. 15.00 करोड़, मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना हेतु-रू.10.00 करोड़, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना हेतु- रू. 60.00 करोड़, मेगा प्रोजेक्ट के लिए- रू. 600 करोड का बजटीय प्रावधान है।

डा. नरेश बंसल ने कहा कि कुल मिलाकर हर वर्ग, हर सेक्टर पर फोकस कर उसमे बजट दिया गया है जिससे जनता को मूलभूत सुविधाए मिले साथ ही राज्य मे उद्योग बढ़ेगा, ढांचागत सुधार होगा,नवाचार को बढ़ावा मिलेगा व बड़े स्तर पर रोजगार सृजन होगा व राज्य की आर्थिकी को नव उर्जा मिलेगी एवं प्रती व्यक्ती आय भी बढ़ेगी। यह सरकार की हर क्षेत्र, हर वर्ग के विकास के प्रती विकास की सोच को दर्शाता है जो भाजपा-एनडीए सरकार का मूलमंत्र है।

डा. नरेश बंसल ने एक सधे हुए विकासशील, समावेशी, सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास व सबका विकास वाले जनहित के बजट 2025-26 के लिए वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी व समस्त कैबिनेट को बधाई दी है व प्रदेश की जनता को शुभकामनाए देते हुए कहा कि निश्चित रूप से इस बजट से राज्य का चौमुखी विकास होगा जिससे प्रदेश की जनता को सर्वाधिक लाभ मिलेगा।

उत्तराखंड का बजट ऐतिहासिक, गरीबों, युवाओं और नारीशक्ति के उत्थान पर विशेष ध्यानः गणेश जोशी

20 फरवरी। प्रदेश के कृषि एवं ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने उत्तराखंड सरकार के बजट को गरीबों, युवाओं, किसानों (अन्नदाताओं) और नारीशक्ति के उत्थान के लिए महत्वपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा कि यह बजट प्रदेश के सतत विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा और राज्य को आत्मनिर्भर बनाने में सहायक होगा। उन्होंने बताया कि इस बार के बजट में पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 13 फीसदी की वृद्धि की गई है, जिससे प्रदेश के विकास कार्यों को और अधिक मजबूती मिलेगी। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि कृषि क्षेत्र के विकास तथा अन्नतदाताओं के उत्थान हेतु बजट में किसान पेंशन योजनान्तर्गत समग्र रूप से लगभग रू. 42.18 करोड़। हाउस ऑफ हिमालयाज के अन्तर्गत रू. 15.00 करोड़। मिशन एप्पल योजना अन्तर्गत रू. 35.00 करोड़। साईलेज आदि हेतु समग्र रूप से रू. 40.00 करोड। दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना हेतु समग्र रूप से रू. 30.00 करोड़। मुख्यमंत्री राज्य कृषि विकास योजनान्तर्गत रू. 25.00 करोड़। मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना हेतु समग्र रूप से रू. 12.43 करोड़। मिलेट मिशन योजना के प्रोत्साहन हेतु रू. 4.00 करोड़। स्थानीय फसलों को प्रोत्साहन कार्यक्रम हेतु लगभग रू. 5.75 करोड़। नेशनल मिशन फॉर नेचुरल फार्मिंग योजना हेतु समग्र रूप से लगभग रू. 3.22 करोड़ की व्यवस्था की गई है। जिसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और वित्त मंत्री का आभार भी जताया।

मंत्री जोशी ने कहा कि सरकार ने नवाचार, आत्मनिर्भरता और प्रदेश की महान विरासत को केंद्र में रखते हुए अपना वार्षिक बजट प्रस्तुत किया है। इस बजट को "NAMO" (नवाचार, आत्मनिर्भरता, महान विरासत, ओजस्विता) के सिद्धांतों पर आधारित बताया गया है, जो राज्य के समग्र विकास को नई गति देगा। मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि सरकार ने कृषि और ग्राम्य विकास पर विशेष ध्यान दिया है। उन्होंने कहा कि युवाओं और नारीशक्ति के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। मंत्री ने कहा कि सरकार ने इस बजट में युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए विशेष प्रावधान किए हैं। साथ ही, महिलाओं के सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए भी प्रावधान किया गया है। उन्होंने विश्वास जताया कि यह बजट प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा और समाज के हर वर्ग को लाभ पहुंचाएगा।

बजटः राज्य में और सुदृढ़ होंगी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं

- वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को 3311 करोड़ 54 लाख 04 हजार का बजट
- प्रदेश में चिकित्सा के बेहतर प्रबंधन से 'सबके लिये स्वास्थ्य' की परिकल्पना को मिलेगा संबल

उत्तराखण्ड़ सरकार स्वास्थ्य सेवाओं तक आम जनमानस की पहुंच को सुलभ बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य की विकासोन्मुख नीतियों के अन्तर्गत ''सबके लिये स्वास्थ्य'' की परिकल्पना को और बेहतर ढंग से धरातल पर उतारने के लिए बजट में भी खास प्रावधान रखे गए हैं। आज पेश हुए बजट में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग हेतु 3311 करोड़ 54 लाख 04 हजार का बजट रखा गया है। सबके लिए स्वास्थ्य एक बड़ा लक्ष्य है। इसे हासिल करने के लिए सरकार द्वारा आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए जो बजट प्रावधानित किया है वह निसंदेह ही आम जन की बेहतर स्वास्थ्य के प्रति संवेदनशीलता को दर्शाता है।

विभाग को मिले कुल बजट की बात करें तो राजस्व मद में 3226 करोड़ 21 लाख व पूँजीगत मद 85 करोड़ 33 लाख 04 हजार का प्रावधान है। चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के वित्तीय वर्ष में विभागीय निर्माण कार्यों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन निर्माण के लिए 5.00 करोड़, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन निर्माण को 10.00 करोड, उपजिला चिकित्सालयों के निर्माण हेतु 25.00 करोड़, आवासीय/अनावासीय भवनों का निर्माण 27.00 करोड़ का बजट रखा गया है। वहीं मानसिक चिकित्सालय हेतु 17.82 करोड़ का प्रावधान रखा गया है।

प्रदेश प्रत्येक परिवार को प्रतिवर्ष 5 लाख का निशुल्क उपचार देने वाली अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड़ योजना के लिए 550 करोड़ तथा राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना (पेंशन) के लिए 10 करोड़ का बजट है।

इसके अलावा राज्य में प्रसूता के लिए ईजा-बोई शगुन योजना 14 करोड़, राज्य सरकार द्वारा निजी सहभागिता (पी0पी0पी0) 17 करोड़ 99 लाख, आशा कार्यकत्रियों/पार्ट टाईम दाईयों को मानदेय हेतु 51 करोड़ 32 लाख, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एन0एच0एम0) 761 करोड़ 90लाख, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हैल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन के अंतर्गत 54 करोड़ 71 लाख का बजट रखा गया है। रजत जयंती वर्ष के अवसर पर पारित हुए इस बजट से साफ है कि प्रदेश सरकार जन स्वास्थ्य को लेकर गंभीर है। बजट में रखे प्राविधानों से व्यवस्थाएं और अधिक दुरूस्त होंगी।

राज्य सरकार प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण के लिये प्रतिबद्ध है। सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिये बजट में नई योजनाओं को शामिल करने के साथ बजट वृद्धि की है ताकि प्रत्येक नागरिक को स्वास्थ्य सुविधाएं आसानी से सुलभ हो सके।

-डॉ धन सिंह रावत, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री, उत्तराखंड।

यह बजट उत्तराखंड की अवधारण को साकार करने वाला बजट हैः महाराज

प्रदेश के लोक निर्माण, सिंचाई, पंचायतीराज, पर्यटन, धर्मस्व, संस्कृति, जलागम एवं ग्रामीण निर्माण, मंत्री सतपाल महाराज ने उत्तराखंड की धामी सरकार द्वारा विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए पेश 1,01,175 करोड़ के बजट को समावेशी और जन सामान्य का बजट बताया है।

प्रदेश के लोक निर्माण, सिंचाई, पंचायतीराज, पर्यटन, धर्मस्व, संस्कृति, जलागम एवं ग्रामीण निर्माण, मंत्री सतपाल महाराज ने उत्तराखंड की धामी सरकार द्वारा विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए पेश 1,01,175 करोड़ के बजट को समावेशी और जन सामान्य का बजट बताते हुए इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अभिव्यक्त संकल्पों से प्रेरित बताया है। उन्होंने कहा कि यह बजट कृषि, सिंचाई, ऊर्जा, अवसंरचना, संयोजकता, आयुष, पर्यटन, शिक्षा, चिकित्सा, प्रदेश में सड़कों के निर्माण और सभी वर्गों के विकास एवं उत्थान बजट बताया है।

श्री महाराज ने कहा कि प्रदेश के जनमानस को सुगम एवं स्तरीय सड़क सुविधा का लाभ मिल सकें, इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए लोक निर्माण विभाग की अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 2882.0820 करोड़, प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ-साथ पर्यटकों एवं तीर्थ यात्रियों के लिए विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए पर्यटन विभाग हेतु बजट में 478.7605 करोड़ की धनराशि का प्राविधान किया गया है। इसी प्रकार प्रदेश में कृषकों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु संचालित हो रही सिंचाई विभाग की योजनाओं हेतु 1658.4115 करोड़ रुपए और लघु सिंचाई विभाग के कार्यों हेतु 239.3279 करोड़ की धनराशि का प्राविधान किया गया है। धामी सरकार ने इस बजट में पंचायतों के सशक्तिकरण के लिए राजस्व एवं पूंजीगत मद में 163.38 करोड़ की धनराशि का प्राविधान किया है। वहीं कला एवं संस्कृति के उत्थान के लिए संस्कृति विभाग के लिए 404348 करोड़ और ग्रामीण निर्माण विभाग के लिए बजट में 1573947 करोड़ का प्राविधान किया गया है। कुल मिलाकर उत्तराखंड सरकार का यह बजट विकसित उत्तराखंड की अवधारणा को साकार करने वाला और राज्य की आर्थिक समृद्धि का बजट है।

दिल्ली में भी भाजपा ने बरकरार रखा 'नया सियासी ट्रेडमार्क'

पिछले 11 सालों में भाजपा का अनुभवी नेताओं को पीछे कर नए चेहरे को सीएम बनाना एक ट्रेडमार्ग बन गया है। रेखा गुप्ता पहली बार विधायक बनी हैं और सीधे मुख्यमंत्री बना दी गई, जबकि होड़ में प्रवेश वर्मा जैसे चर्चित नेता भी थे। प्रवेश वर्मा दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के बेटे और दिल्ली के बड़े जाट नेता हैं। इनके अलावा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा भी रेस में थे। इनके अलावा लक्ष्मी नगर से विधायक अभय वर्मा, जनकपुरी से विधायक आशीष सूद, बवाना से विधायक रविंद्र राज और उत्तम नगर से विधायक पवन शर्मा और उत्तराखंड मूल के मुस्तफाबाद से विधायक मोहन सिंह बिष्ट दौड़ में शामिल थे। हर किसी का अपना प्लस फैक्टर था, लेकिन अंत में रेखा गुप्ता को सीएम की कुर्सी मिल गई।

शंभू नाथ गौतम

दिल्ली में भी भाजपा ने अपनी नई राजनीति की परंपरा बरकरार रखते हुए नए चेहरे को मुख्यमंत्री पद की कमान दे दी। पिछले 11 सालों में भाजपा का अनुभवी नेताओं को पीछे कर नए चेहरे को सीएम बनाना एक ट्रेडमार्क बन गया है। भाजपा का नए और कम चर्चित चेहरों को सीएम बनाकर चौंकाना रवायत बन गई है। दिल्ली में कई भाजपा के अनुभवी नेता मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेखा गुप्ता पर भरोसा जताया और सीएम पद की कमान सौंप दी। इससे पहले भाजपा कई राज्यों में नए चेहरे को मुख्यमंत्री बनाकर चौंकाती रही है। इसमें उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी, मध्य प्रदेश में मोहन यादव, राजस्थान में भजनलाल शर्मा और हरियाणा में नायब सिंह सैनी आदि शामिल हैं। रेखा गुप्ता पहली बार विधायक बनी हैं और सीधे मुख्यमंत्री बना दी गई, जबकि होड़ में प्रवेश वर्मा जैसे चर्चित नेता भी थे। प्रवेश वर्मा दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के बेटे और दिल्ली के बड़े जाट नेता हैं। इनके अलावा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा भी रेस में थे। लक्ष्मी नगर से विधायक अभय वर्मा, जनकपुरी से विधायक आशीष सूद, बवाना से विधायक रविंद्र राज और उत्तम नगर से विधायक पवन शर्मा, उत्तराखंड मूल के मुस्तफाबाद से विधायक मोहन सिंह बिष्ट दौड़ में शामिल थे। हर किसी का अपना प्लस फैक्टर था, लेकिन अंत में रेखा गुप्ता को सीएम की कुर्सी मिल गई। इसी के साथ सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित और आतिशी के बाद रेखा राज्य की चौथी महिला सीएम बन गई। रेखा गुप्ता ने 9वीं मुख्यमंत्री के तौर पर दिल्ली की कुर्सी संभाली है। गुरुवार को उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली के रामलीला मैदान में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और उनके कैबिनेट सहयोगियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री तथा उपमुख्यमंत्री भी उपस्थित रहे। भारतीय जनता पार्टी 27 साल बाद दिल्ली की सत्ता में वापस आई है। मूल रूप से हरियाणा के जींद से आने वाली रेखा गुप्ता का जन्म साल 1974 में जुलाना में हुआ था। एसबीआई बैंक में पिता की नौकरी लगने के बाद उनका परिवार दिल्ली शिफ्ट हो गया था। हालांकि अब भी उनका परिवार जुलाना में कारोबार करता है। दिल्ली से सटे हरियाणा से ताल्लुक रखने की वजह से रेखा गुप्ता का अपने गृह राज्य में आना-जाना होता रहता है। आरएसएस से 32 साल तक जुड़ी रहीं गुप्ता ने 1992 में दिल्ली विश्वविद्यालय के दौलत राम कक्कलेज में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू की थी। 1995-96 में वह दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ की सचिव और 1996-97 में इसकी अध्यक्ष रहीं। 2002 में वह भाजपा में शामिल हुई और पार्टी की युवा शाखा की राष्ट्रीय सचिव रहीं। रेखा गुप्ता ने मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में भाजपा की महिला शाखा की प्रभारी के तौर पर भी काम किया है। वह भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं। 2007 में उत्तरी पीतमपुरा से पार्षद चुने जाने के बाद गुप्ता ने महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए काम किया। उन्होंने सुमेधा योजना जैसी पहल शुरू की, जिसके तहत आर्थिक रूप से कमजोर छात्राओं को उच्च शिक्षा हासिल करने में मदद मिली। वह तीन बार पार्षद चुनी गईं। नगर निकाय की महिला कल्याण एवं बाल विकास समिति की प्रमुख

के रूप में उन्होंने महिलाओं के सशक्तिकरण अभियान का नेतृत्व किया।

उत्तराखंड मूल के मोहन सिंह बिष्ट को दिल्ली मंत्रिमंडल में भी नहीं मिली जगह

राजधानी दिल्ली में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद रेखा गुप्ता ने पहले दिन ही कई फैसले लिए। इसके साथ मुख्यमंत्री रेखा ने मंत्रियों के विभागों का भी बंटवारा कर दिया। उत्तराखंड निवासी मोहन सिंह बिष्ट का नाम मुख्यमंत्री पद की रेस में चल रहा था लेकिन उनको मंत्रिमंडल में भी शामिल नहीं किया गया। हालांकि भाजपा हाईकमान ने मोहन सिंह बिष्ट को लेकर कुछ न कुछ पद देने को जरूर सोच रखा है लेकिन अभी आधिकारिक तौर पर घोषण ाा नहीं की गई है। लेकिन यह भी चर्चा है कि बिष्ट को स्पीकर या डिप्टी स्पीकर भाजपा बना सकती है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने पास वित्त, राजस्व और विजिलेंस समेत कई प्रमुख विभाग रखे हैं। रेखा गुप्ता ने अपने पास वित्त, योजना, सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी), महिला एवं बाल विकास, सेवाएं, राजस्व, भूमि एवं भवन, सूचना एवं जनसंपर्क, विजिलेंस और प्रशासनिक सुधार विभाग रखे हैं। साथ ही, वह उन विभागों की भी जिम्मेदारी संभालेंगी, जिन्हें किसी को आवंटित नहीं किया गया है। प्रवेश साहिब सिंह वर्मा को पीडब्ल्यूडी, विधायी मामले, अलावा सूचना एवं वित्त आयोग, जल और गुरुद्वारा चुनाव विभाग मिले हैं। आशीष सूद को गृह, बिजली, शहरी विकास, शिक्षा, उच्च शिक्षा, प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा विभागों की जिम्मेदारी मिली है। मनजिंदर सिंह सिरसा को उद्योग, खाद्य आपूर्ति, वन एवं पर्यावरण और योजना विभाग मिले हैं। रविंद्र सिंह इंद्राज को समाज कल्याण, एससी/एसटी वेलफेयर, कॉरपोरेशन, इलेक्शंस विभाग मिले हैं। कपिल मिश्रा को विधि एवं न्याय, श्रम एवं रोजगार, विकास, कला एवं संस्कृति, भाषा और पर्यटन विभागों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके साथ ही, डॉ. पंकज कुमार सिंह को स्वास्थ्य, परिवहन और सूचना तकनीक विभाग दिए गए हैं। वही रेखा गुप्ता ने पहले ही कैबिनेट बैठक में दिल्ली सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में आयुष्मान योजना को मंजूरी दी गई। रेखा गुप्ता ने बताया हमने मुख्यत: दो बड़े एजेंडे पर चर्चा करते हुए उन्हें पास किया। दिल्ली में आयुष्मान योजना को हमने सर्वसम्मति से पारित किया है। इसके तहत 5 लाख का टॉपअप दिल्ली सरकार और 5 लाख केंद्र सरकार देगी, जो कि लागू कर दिया गया है।

अब देश में निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी निभाएंगे ज्ञानेश कुमार

राजीव कुमार ने राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड, पिछले साल लोकसभा चुनाव उसके बाद जम्मू-कश्मीर और हाल ही में दिल्ली विधानसभा चुनाव कराने में अहम भूमिका निभाई। अब राजीव कुमार चुनावों की तारीखों का एलान करते समय दिखाई नहीं देंगे क्योंकि इसी 18 फरवरी को मुख्य निर्वाचन आयुक्त के पद से रिटायर हो गए। राजीव कुमार ने भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में कार्य किया। उन्होंने चुनाव आयोग को लोकतंत्र की पूजा का स्थान बताते हुए पद छोड़ दिया। उन्होंने संस्थान के भविष्य और नई टीम के नेतृत्व पर भरोसा जताया। ज्ञानेश कुमार भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त हो गए हैं। नए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का कार्यकाल 26 जनवरी 2029 को समाप्त होगा। उनकी देखरेख में इस साल के अंत में बिहार विधानसभा चुनाव और अगले साल बंगाल, असम और तमिलनाडु के विधानसभा चुनाव होंगे।

15 मई साल 2024 को वरिष्ठ आईएएस अधिकारी राजीव कुमार ने देश में मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पदभार संभाला था। राजीव कुमार ने राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड, पिछले साल लोकसभा चुनाव उसके बाद जम्मू-कश्मीर और हाल ही में दिल्ली विधानसभा चुनाव कराने में अहम भूमिका निभाई। अब राजीव कुमार चुनावों की तारीखों का एलान करते समय दिखाई नहीं देंगे क्योंकि इसी 18 फरवरी को मुख्य निर्वाचन आयुक्त के पद से रिटायर हो गए। राजीव कुमार ने भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में कार्य किया। उन्होंने चुनाव आयोग को लोकतंत्र की पूजा का स्थान बताते हुए पद छोड़ दिया। उन्होंने संस्थान के भविष्य और नई टीम के नेतृत्व पर भरोसा जताया। चुनाव आयोग के एक आधिकारिक बयान के अनुसार राजीव कुमार 1 सितंबर, 2020 को चुनाव आयुक्त के रूप में ईसीआई में शामिल हुए और 15 मई, 2022 को उन्होंने सीईसी के रूप में कार्यभार संभाला था। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने संरचनात्मक, तकनीकी और प्रशासनिक क्षेत्रों में मौन लेकिन गहन सुधार लागू किए। ज्ञानेश कुमार भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त हो गए हैं। बता दें कि 17 फरवरी को चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को नया मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) नियुक्त किया गया। कानून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और विपक्ष के नेता राहुल गांधी की चयन समिति ने इस संबंध में दिल्ली में बैठक की थी, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के उत्तराधिकारी के तौर पर ज्ञानेश कुमार को चुना गया। वहीं हरियाणा के मुख्य सचिव विवेक जोशी को ज्ञानेश कुमार की पदोन्नति के बाद चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया। ज्ञानेश कुमार के साथ चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किए गए सुखबीर सिंह संधू अपने पद पर बने रहेंगे। देश के नवनियुक्त मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बुधवार कार्यभार संभाला। कार्यभार संभालने के बाद उन्होंने कहा कि राष्ट्र निर्माण के लिए पहला

कदम मतदान है। आईएएस अधिकारी ज्ञानेश कुमार तीन सदस्यीय पैनल के दो आयुक्तों में से वरिष्ठ हैं, जिसका नेतृत्व राजीव कुमार ने किया था। पैनल के दूसरे आयुक्त उत्तराखंड कैडर के अधिकारी सुखबीर सिंह संधू हैं। ज्ञानेश कुमार 1988 केरल कैडर के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी हैं। इससे पहले वह संसदीय कार्य मंत्रालय और सहकारिता मंत्रालय में सचिव के पद पर कार्य कर चुके हैं। गृह मंत्रालय में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

गौरतलब हो, जम्मू-कश्मीर मामलों को संभालने में ज्ञानेश कुमार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जब 2019 में अनुच्छेद 370 को अप्रभावी घोषित किया गया था, तब वह गृह मंत्रालय में जम्मू-कश्मीर डेस्क के प्रभारी थे।

उन्होंने केरल में विभिन्न पदों पर भी काम किया है, जिनमें एर्नाकुलम के जिला कलेक्टर और केरल राज्य सहकारी बैंक के एमडी के पद शामिल हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने आईआईटी कानपुर से सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक की डिग्री प्राप्त की है और आईसीएफएआई से बिजनेस फाइनेंस तथा हार्वर्ड विश्वविद्यालय से पर्यावरण अर्थशास्त्र की पढ़ाई की है। उन्होंने 15 मार्च, 2024 को चुनाव आयुक्त के रूप में कार्यभार संभाला और वे उत्तराखंड कैडर के सुखबीर संधू के साथ चयन पैनल द्वारा नियुक्त दो आयुक्तों में से एक थे।

नए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का कार्यकाल 26 जनवरी 2029 को समाप्त होगा। उनकी देखरेख में इस साल के अंत में बिहार विधानसभा चुनाव और अगले साल बंगाल, असम और तमिलनाडु के विधानसभा चुनाव होंगे।

तीन सदस्यीय मेंबर कमेटी की बैठक में देश के नए मुख्य चुनाव आयुक्त का होता है चयन

भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त के संबंध में तीन सदस्यीय मेंबर कमेटी की एक बैठक हुई, जिसमें ज्ञानेश कुमार के नाम को मंजूरी दी गई। केंद्र सरकार ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उनके सहयोग के लिए दो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति, सेवा की शर्तों व कार्यकाल अधिनियम 2023 लागू किया है। यह नया अधिनियम बताता है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति के लिए एक तीन सदस्यीय कमेटी होगी। पीएम, विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त एक केंद्रीय मंत्री की तीन सदस्यीय कमेटी चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की सिफारिश करेगी। सिफारिश करने से पहले, एक सर्च कमेटी का काम होता है कि वह पांच नामों को शॉर्टलिस्ट करती है। इसके बाद चयन कमेटी इनमें से एक नाम को तय करेगी। नए अधिनियम में यह व्यवस्था है कि तीन सदस्यों की सिलेक्शन कमेटी चाहे तो शार्टलिस्ट उम्मीदवार या उससे अलग भी किसी अन्य प्रत्याशी के नाम की सिफारिश कर सकती है। मुख्य चुनाव आयोग के लिए चयन कमेटी द्वारा जिस नाम को तय किया जाता है, वह नाम राष्ट्रपति के समक्ष भेजा जाता है। राष्ट्रपति उस प्रत्याशी के नाम पर अंतिम मुहर लगाते हैं। राष्ट्रपति द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त के नाम पर अंतिम मुहर लगाने के बाद इसका नोटिफिकेशन जारी किया जाता है।

इसके बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमिश्नर भारत निर्वाचन आयोग में पद और गोपनीयता की शपथ लेता है। इसके पश्चात वह अपने पदभार को संभालता है।

भारत का कानून कहता है कि भारत निर्वाचन आयोग का मुख्य चुनाव आयुक्त बनने के लिए प्रत्याशी को सबसे पहले भारत सरकार का सेक्रेटरी लेवल का अफसर होना जरूरी है। वहीं कार्यकाल की बात की जाए, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का पूरा कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। हालांकि इसमें भी एक व्यवस्था है। यदि 6 साल से पहले ही कोई मुख्य चुनाव आयुक्त 65 वर्ष का हो जाए तो उन्हें अपना पद छोड़ना पड़ेगा। मुख्य चुनाव आयुक्त के अलावा जो अन्य दो चुनाव आयुक्त होते हैं, उनकी अधिकतम आयु सीमा 62 वर्ष होती है। प्रोटोकॉल में मुख्य चुनाव आयुक्त को सुप्रीम कोर्ट के न्यायधीशों के बराबर का दर्जा प्राप्त है। वेतन और भत्ते भी सुप्रीम कोर्ट के न्यायधीशों के समान ही प्राप्त होते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त तीनों चुनाव आयुक्तों में सबसे बड़ा अधिकारी होता है। दो अन्य चुनाव आयुक्त उन्हें सहयोग करते हैं। देश में आयोजित होने वाले लोकसभा चुनाव या विधानसभा चुनाव की घोषणा होते ही आचार संहिता लागू हो जाती है। इस समय चुनाव आयुक्त बहुत पॉवरफुल हो जाते हैं। क्योंकि चुनाव सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए पूरी प्रशासनिक मशीनरी की जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग के पास आ जाती है।

ऐसे में शासन और प्रशासन से ज्यादा शक्तियां निर्वाचन आयोग की होती हैं। तबादले से लेकर पोस्टिंग तक सब कुछ चुनाव आयोग के आदेश पर ही होता है। राज्यों की बात की जाए तो राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है।

राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (से.नि.) से शनिवार को राजभवन में उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुहनाथन नरेंदर ने शिष्टाचार भेंट की।

लाजवाब गुणों से भरपूर है मुनस्यारी की राजमा

लोकेश राज अस्थाना

उत्तराखण्ड के कुमांऊ में स्थित जनपद पिथौरागढ़ के शहर मुनस्यारी के राजमा की बात ही अलग है। शादी-विवाह हो या अन्य कार्यक्रम सभी में मुनस्यारी के राजमा की बंपर डिमांड रहती है। मुनस्यारी के राजमा के स्वाद के सामने अन्य दालों का स्वाद फीका लगता है। मुनस्यारी का राजमा खाने में बेहद ही स्वादिष्ट होता है। यहां के राजमा का स्वाद देश-विदेश के लोगों ने भी चखा है। मुनस्यारी का राजमा ठंडे इलाकों का होता है इसलिए यह खाने में बेहद लाजवाब होता है। भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार ठंडे इलाकों में अच्छा राजमा होता है। हालांकि कुमांऊ के अन्य क्षेत्रों में भी राजमा उगाया जाता है लेकिन उन सबमें मुनस्यारी का राजमा बेस्ट होता है। स्वाद में लाजवाब होने के साथ ही मुनस्यारी का राजमा आसानी से पक जाता है। खाने में घी की तरह मुलायम लगता है, इसलिए लोग मुनस्यारी के राजमा को खूब पसंद करते है। कुमांऊ घूमने आने वाले पर्यटक मुनस्यारी की राजमा के बारे में जरूर पूछते है। हिमालयी क्षेत्र में उत्पादित राजमा पौष्टिक गुणों से भरपूर होता है। इन्हीं गुणों के चलते पूरे उत्तर भारत में इसकी मांग है। हालांकि मांग की तुलना में उत्पाद सीमित है। सीमांत क्षेत्रों में राजमा पूरी तरह से जैविक तरीके से उत्पादित किया जाता है। इसके उत्पादन में किसी तरह की रासायनिक खाद का उपयोग नहीं होता है इसलिए भी यह स्वाद में लाजवाब होता है। मुनस्यारी में राजमा 7000 फीट से अधिक ऊंचाई वाले क्वीरी, जीमियां, साईपालू, ल्वां, बोना, तोमिक, गोला, नामिक, बुई, पातों, निर्तोली और झापुली समेत कई हिमालयी गांवों में आर्गेनिक तरीके से उगाया जाता है। मुनस्यरी का राजमा गुणवत्ता से भरपूर है और इस राजमा को अब जियोग्राफिकल इंडेकशन (जीआई टैग) भी मिल चुका है जिससे यहां का राजमा आसानी से अच्छे दामों में देश से बाहर भी जाता है। जीआई टैग मिलने से राजमा के उत्पादन से लेकर गुणवत्ता में अधिक बढ़ोतरी हुई है।

विदेशी पर्यटकों को भी भाने लगी है राजमा-

इस विशिष्ट राजमा का स्वाद अब विदेशियों को भी भाने लगा है। मुनस्यारी पहुंचने वाले विदेशी र्प्यटकों को जब भोजन में यह राजमा परोसी जाती है तो वे इसके बारे में जानकारी लेते है और इसके बनाने की विधि सीखकर इसे अपने साथ ले जाते है।

बीते दशकों से मुनस्यारी की राजमा को मिली पहचान-

मुनस्यारी में राजमा का उत्पादन सदियों से होता आया है। अतीत में मुनस्यारी की राजमा केवल मुनस्यारी के राजमा उत्पादक गांवों तक ही पहचान रखती थी। तब मुनस्यारी तक मोटर मार्ग नहीं थे। यहां तक बाहरी लोगों की आवक नहीं के बराबर रहती थी। यहां पर अलग-अलग रंग की परंतु स्वाद में एक समान राजमा का उत्पादन होता था परंतु उत्पादक इसे अपने घरेलू उपयोग के अलावा नाते, रिश्तेदारों को देने तक ही करते थे। मुनस्यारी तक जब पहुंचना सरल हो गया तो इसका स्वाद अन्य क्षेत्र के लोगों को भी मिलने लगा। इसका स्वाद चखने वाले इसके मुरीद होते गए। आज स्थिति यह है कि लोग राजमा की फसल तैयार होते ही राजमा खरीदने के लिए राजमा उत्पादक गांवों तक पहुंच जाते है।

राजमा मुनस्यारी की परंपरागत खेती-

राजमा मुनस्यारी की परंपरागत खेती है। सदियों से इसका उत्पादन हो रहा है। आज भी क्षेत्र के लोग सबसे ज्यादा महत्व राजमा को ही देते है। इसी से क्षेत्र के लोगों की रोजीरोटी जुड़ी हुई है। राजमा उत्पादन में मेहनत अधिक है। मौसम भी कारक रहता है। किसी वर्ष फसल काफी अच्छी तो किसी वर्ष मौसम प्रतिकूल रहने से फसल प्रभावित होती है। अब जबकि राजमा को एक बड़ा बाजार मिल रहा है तो अब इसका उत्पादन भी बढ़ रहा है।

चले गए गांव की मिट्टी में जन्मे यायावर डॉ श्याम सिंह शशि!

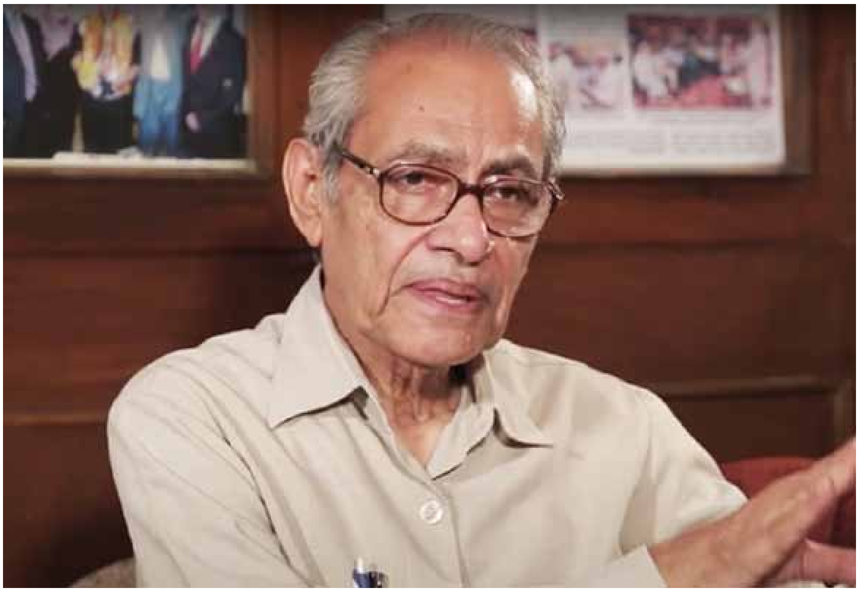

डॉ श्रीगोपाल नारसन
एडवोकेट

हिंदी साहित्य के महान नक्षत्र वरिष्ठ साहित्यकार पद्मश्री डा. श्यामसिंह शशि अब हमारे बीच नही है। मुझसे हमेशा स्नेहाशीष रखने वाले डॉ शशि मुझसे आयु व व्यक्तित्व रूपी कद में बहुत बड़े होने के बाद भी वे मुझे श्रीगोपाल भाई कहकर ही बुलाते थे। नई दिल्ली के सफ़दर इन्क्लेव स्थित उनके आवास पर हुए उनके निधन से एक साहित्यिक रिक्तता का बोध हो रहा है। डॉ श्याम सिंह 'शशि' का जन्म 1 जुलाई सन 1935 को हरिद्वार के बहादुरपुर गांव में हुआ था। पहले प्राइमरी और फिर जूनियर हाई स्कूल से उच्च शिक्षा तक प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण करने वाले डा. शशि ने एक सरकारी कर्मचारी के रूप में अपना करियर शुरू किया था और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के प्रकाशन विभाग में महानिदेशक पद तक जा पहुंचे।इस पद से भी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने के बाद वे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कल्चर एंड लैंग्वेजेज में मीडिया रिसर्च और इनसाइक्लोपीडिया डिवीजनों के अध्यक्ष के रूप में शामिल हो गए, जहाँ उन्होंने मानविकी और सामाजिक विज्ञान का विश्वकोश, भारतीय जनजातियों का विश्वकोश , विश्व महिलाओं का विश्वकोश और इनसाइक्लोपीडिया इंडिका का संपादन किया। उन्हें भारत सरकार ने पद्मश्री सम्मान से भी नवाजा था। सन 2012 में उन्हें सर्बिया रिपब्लिक की राजधानी बेलग्रेड में नवगठित अंतरराष्ट्रीय रोमा संस्कृति विश्वविद्यालय का कुलाधिपति मनोनीत किया गया था। हिंदी साहित्य में यायावर कवि डॉ. शशि के साहित्य पर विभिन्न विश्वविद्यालयों से अनेक एम.फिल, पी.एचडी. आदि के लिए शोधकार्य हुआ है। उनके महाकाव्य 'अग्निसागर' पर 1993 में दूरदर्शन पर दस एपीसोड का धारावाहिक भी प्रसारित हो चुका है। उन्होने 'समाजविज्ञान हिन्दी विश्वकोश' की दो खण्डों में रचना की, साथ ही 300 से अधिक पुस्तकों की उन्होंने रचना की है। उन्होंने मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी से मैन मैनेजमेंट और मैनपावर प्लानिंग में मास्टर डिग्री की और हिमालयन नोमैड्स पर अपनी थीसिस के लिए आगरा यूनिवर्सिटी से समाजशास्त्र में डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त की।

अंतराष्ट्रीय शोध संस्थान, नई दिल्ली के अध्यक्ष सुविख्यात साहित्यकार डा. शशि अभी तक इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में विजिटिंग प्रोफ़ेसर, अंतर्राष्ट्रीय बाल साहित्य अकादमी के अध्यक्ष और अंतर्राष्ट्रीय घुमंतू अध्ययन संस्थान के अध्यक्ष रहे हैं। उन्होंने डॉ. बीआर अंबेडकर के संग्रहित कार्यों के मानद संपादक के रूप में कार्य किया, जिसे भारत सरकार द्वारा आठ भारतीय भाषाओं में प्रकाशित किया गया था। वह दिल्ली गौरव पुरस्कारों के निर्णायक मंडल के सदस्य भी रहे हैं।

'पद्मश्री' की उपाधि के अलावा उन्हें भारत सरकार, दिल्ली सरकार, बिहार शासन, उत्तर प्रदेश सरकार, हिमाचल प्रदेश, नागरी प्रचारिणी सभा, बालकल्याण संस्थान, विश्व हिंदी समिति, न्यूयार्क (अमरीका), यू.के. हिंदी समिति लंदन हगेरियन कांग्रेस, मॉरीशस सरकार, रोमा विश्व यूनियन सम्मान बेल्ग्रेड आदि देश-विदेश की अनेक सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाओं द्वारा सम्मानित किया जा चुका है।

उन्हें हिंदी साहित्य जगत का पुरोधा माना जाता रहा है। उनकी पुस्तकों में कविता-लाल सवेरा, एकादशी, भूदान दशक, प्रणय-पूर्णिमा, लहू के फूल, शिलानगर में, एक दधीचि और, यायावरी, ढाई आखर, अग्निसागर, आपके लिए, विश्व कविता की और एकलव्य तथा अन्य कविताएँ, अग्निसागर तथा अन्य कविताएँ, सागर तीरे (कविता-संग्रह), संपादन-आस्था के स्वर, युद्ध के स्वर प्रेम की लय, विविध-हमारा समाज, भारत की पशुपालक जातियाँ, सामाजिक विज्ञान प्रलेख कोश, राजभाषा कोश भारत के यायावर, हिमालय के यायावर, रोमा विश्व के यायावर, इतिहास बनती यात्राएँ, सूर्यमंदिरों की खोज में, सामाजिक विज्ञान हिंदी विश्वकोश (तीन खंड), जीवन पथ पर (बालसाहित्यसफलता और सफलता, समाज के सुपुत्र, आज के अस्त्र-शस्त्र, मेहनत ही ज़िंदगी है, अच्छे बच्चे कितने सच्चे, नन्हे सैनिक, वनवासी बच्चे कितने सच्चे, देश-देश में रोमा बच्चे) हिंदी तथा अँग्रेजी में एनसाइक्लोपीडिया इंडिका 200 खंड तथा वर्ल्ड ऑफ नोमेडस आदि शामिल है। ऑथर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद्मश्री डॉ श्याम सिंह शशि को दिल्ली सरकार द्वारा हाल ही में वर्ष 2024-25 के लिए 'हिंदी अकादमी दिल्ली शिखर सम्मान' से नवाजा गया था। उनका रुड़की में भी घर रहा है और जब भी वे अपने गृह जनपद हरिद्वार आते या फिर दिल्ली में उनसे मुलाकात होती तो एक परिजन की तरह ही कुशलक्षेम पूछते और स्नेह से गले लगा लेते थे। ऐसे महान सरस्वती पुत्र को शत शत नमन।

25 मई खुलेगा श्रद्धालुओं के लिए श्री हेमकुंट साहिब

उत्तराखंड सरकार और गुरुद्वारा श्री हेमकुंट साहिब प्रबंधन ट्रस्ट ने यात्रा की तिथियों की घोषणा की उत्तराखंड सरकार और गुरुद्वारा श्री हेमकुंट साहिब प्रबंधन ट्रस्ट ने घोषणा की है कि श्रद्धालुओं के लिए पवित्र तीर्थ स्थल श्री हेमकुंट साहिब 25 मई से खुल जाएगा।

यह निर्णय मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतुरी और श्री नरेंद्र सिंह बिंद्रा, गुरुद्वारा श्री हेमकुंट साहिब प्रबंधन ट्रस्ट के अध्यक्ष के बीच बैठक में सरकार की सहमति से लिया गया है। यात्रा 25 मई से शुरू होगी और 10 अक्टूबर को समाप्त होगी, जिससे श्रद्धालुओं को लगभग पांच महीनों का समय मिलेगा ताकि वे पवित्र तीर्थ स्थल का दर्शन कर सकें।

श्री हेमकुंट साहिब, जो उत्तराखंड के चमोली जिले में 15,200 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, दुनिया भर में सिख समुदाय के लिए सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है। माना जाता है कि यह वह स्थान है जहां सिखों के दसवें गुरु, गुरु गोबिंद सिंह ने ध्यान लगाया था और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया था। यह तीर्थ स्थल सिख धर्म के आध्यात्मिक विकास, आत्म-नियंत्रण और भक्ति पर जोर देने का प्रतीक है। तीर्थ स्थल तक की चुनौतीपूर्ण यात्रा, जिसमें कठिन भूभाग और कठोर मौसम की स्थितियों का सामना करना शामिल है, आध्यात्मिक यात्रा का एक आवश्यक हिस्सा माना जाता है।

'हम देश-विदेश के श्रद्धालुओं को आमंत्रित करते हैं कि वे श्री हेमकुंट साहिब का दर्शन करें और इसकी पवित्रता का अनुभव करें,' गुरुद्वारा श्री हेमकुंट साहिब प्रबंधन ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री नरेंद्र जीत सिंह बिंद्रा ने कहा। 'श्री हेमकुंट साहिब की यात्रा एक अनोखा अनुभव है जो आध्यात्मिक विकास और आत्म-चिंतन का अवसर प्रदान करती है।'

उत्तराखंड सरकार और ट्रस्ट ने श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा सुनिश्चित करने के लिए व्यापक व्यवस्था की है। इनमें शामिल हैं:

- **तीर्थ यात्रा मार्ग में चिकित्सा सुविधाएं और आपातकालीन सेवाएं प्रदान करना**
- **श्रद्धालुओं के लिए शिविर और आवास सुविधाएं स्थापित करना**
- **भोजन, पानी और अन्य आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करना**
- **कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा कर्मियों को तैनात करना**

लॉ कॉलेज देहरादून में 9वें मूट कोर्ट कॉम्पिटिशन का शुभारम्भ

देशभर के 32 विधि विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों की टीमें देहरादून पहुँची

उत्तरांचल विश्वविद्यालय के लॉ कॉलेज देहरादून में आज 3 दिवसीय राष्ट्रीय मूट कोर्ट प्रतियोगिता के 9वें संस्करण का शुभारम्भ किया गया। मणिपुर हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायधीश एवं दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायधीश न्यायमूर्ति श्री सिद्धार्थ मृदुल इस अवसर पर मुख्य अतिथि तथा नैनिताल हाईकोर्ट के पूर्व न्यायधीश एवं हाईकोर्ट की लोक अदालत के सदस्य न्यायमूर्ति राजेश टंडन इस अवसर पर बतौर विशिष्ट अतिथि उपस्थित थे। देश के नामचीन विधि विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों की 32 टीमें इस प्रतियोगिता में भागीदारी करने को देहरादून पहुँची। कार्यक्रम का शुभारम्भ न्यायमूर्ति राजेश टण्डन, कुलपति प्रो0 धर्मबुद्धि, उपकुलपति प्रो0 राजेश बहुगुणा, प्राचार्य प्रो0 पूनम रावत एवं विभागाध्यक्ष डा0 राधेश्याम झा द्वारा द्वीप प्रज्जवलित कर किया गया। विश्वविद्यालय के उपकुलपति प्रो0 राजेश बहुगुणा ने बताया कि संविधान के 75वे वर्ष को मनाते हुए इस वर्ष विश्वविद्यालय में 'हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान' थीम से सम्बन्धित श्रृंखलाबद्ध कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि संविधान विधि पर आयोजित इस राष्ट्रीय स्तरीय प्रतियोगिता में देशभर की 76 टीमों ने नामांकन किया था जबकि प्रथम राउण्ड के बाद 32 टीमों को मौखिक राउण्ड के लिए देहरादून आंमत्रित किया गया है।

अपने सम्बोधन में न्यायमूर्ति राजेश टण्डन ने कहा कि जब पूरा देश अपना 75वां संविधान वर्ष मना रहा है तो लॉ कॉलेज देहरादून द्वारा संविधान विधि पर आयोजित मूट कोर्ट प्रतियोगिता सच्चे अर्थों में युक्तियुक्त लगती है। उन्होंने विश्वविद्यालय द्वारा देश के 'हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान' कैम्पेन में अर्थपूर्ण भागीदारी की सराहना की। संविधान बैंच के समुख बहस करने के महत्व को बताते हुए उन्होंने छात्रों को अनेकों गुर दिये। उन्होंने कहा कि मूट कोर्ट में भागीदारी व कोर्ट में इंटर्नशीप विधि शिक्षा का अभिन्न अंग है। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो0 धर्मबुद्धि ने कहा कि यह मूट कोर्ट प्रतियोगिता छात्रों के लिए अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का एक अच्छा अवसर है। इस तरह की प्रतियोगिताओं में छात्रों को विधि के विभिन्न क्षेत्रों में शोध का अवसर मिलता है जो उनके व्यवसायिक जीवन में निश्चित रूप से लाभकारी सिद्ध होगा। अपने सम्बोधन में मुख्य अतिथि माननीय न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल ने कहा कि एक अधिवक्ता के लिए अच्छा श्रोता होना जरूरी है जो उसे तर्कशील व प्रबुद्ध बनाता है। आयोजकों का धन्यवाद करते हुए न्यायमूर्ति ने प्रतिभागियों को केस से सम्बन्धित महत्वपूर्ण पहलुओं को अच्छे से समझने की सलाह दी जो मुवक्किल के अधिकारों की रक्षा के लिए आवश्यक है। उन्होंने कहा कि हमारे संविधान की प्रस्तावना एक ध्रुव तारा के समान है जो न्याय की स्थापना के लिए अनिवार्य है। अधिवक्ताओं को प्रतिदिन विधि से सम्बन्धित एक नई चीज सीखनी चाहिए जो कालान्तर में कोर्ट में बहस के दौरान एक ब्रह्मास्त्र साबित हो सकता है।

कॉलेज की प्राचार्य डा0 पूनम रावत ने धन्यवाद ज्ञापित किया। इस अवसर पर मुख्य रूप से कुमार आशुतोष, डा0 अंजुम परवेज, डा0 वैभव उनियाल, डा0 कुलजीत सिंह, डा0 भावना अरोड़ा सहित बड़ी संख्या में शिक्षक व छात्र-छात्राएं उपस्थित थे।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन एवं डिजिटल तकनीक का कृषि में समावेश अत्यंत आवश्यक है: राज्यपाल

गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पंतनगर में 20 से 22 फरवरी, 2025 के मध्य 17वें कृषि विज्ञान सम्मेलन के आयोजन का आज सफलतापूर्वक शुभारंभ किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (से. नि.) तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग, भारत सरकार के सचिव एवं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक एवं राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी के अध्यक्ष डॉ. हिमांशु पाठक एवं डॉ. वजीर सिंह लाकरा, सचिव, राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी, डॉ. मनमोहन सिंह चौहान कुलपति एवं सम्मेलन के संयोजक तथा डॉ. ए.एस. नैन सम्मेलन के आयोजन सचिव मंचासीन थे।

कृषि के इस कुम्भ में नीति निर्माताओं, वैज्ञानिकों, शिक्षाविदों, विद्यार्थियों, किसानों एवं उद्योगों के प्रतिनिधियों का भारी संख्या में (लगभग 3 हजार की) उपस्थिति हुई। इस वर्ष, सम्मेलन में ''विकासशील भारत के लिए कृषि में अग्रणी विज्ञान और प्रौद्योगिकी'' विषय पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। इस सम्मेलन का उद्देश्य भारत के कृषि परिदृश्य को बदलने में नवीन प्रौद्योगिकियों की महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करना है।

मुख्य अतिथि राज्यपाल ने अपने साथ अनुभव और ज्ञान का खजाना लेकर इस अवसर की शोभा बढ़ाई। उन्होंने इस सम्मेलन में बड़ी संख्या में वैज्ञानिकों, विद्यार्थियों एवं किसानों की भागीदारी पर अत्यन्त प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने अपने संबोधन में कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विभिन्न नीतियों और कार्यक्रमों को शुरू करने में सरकार के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि इस सम्मेलन के आयोजन का लाभ जो हमारा केन्द्र बिन्दु किसान है, को जाना चाहिए। उन्होंने 'लैब टू लैंड' और 'लैब टू पीपल' कार्यक्रमों को मजबूत करने की तत्काल आवश्यकता पर बल दिया, जो यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हैं कि वैज्ञानिक अनुसंधान और नवाचार सीधे किसानों को लाभान्वित करें। राज्यपाल ने मजबूत मूल्य श्रृंखला विकसित करने, भंडारण सुविधाओं में सुधार करने और कृषि-उद्यमों को बढ़ावा देने के महत्व पर जोर दिया, जिसमें न्यूनतम निवेश की आवश्यकता होती है, लेकिन पर्याप्त लाभ मिलता है, जैसे कि मधुमक्खी पालन और मशरूम की खेती। उन्होंने प्रधानमंत्री कृषि सम्मान योजना जैसी सरकारी योजनाओं के सकारात्मक प्रभाव पर भी प्रकाश डाला, जो किसानों को आर्थिक रूप से सहायता करती है और उन्हें आधुनिक कृषि पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। उन्होंने कहा कि वातावरण की चुनौतियों के मध्य खाद्यान्न उत्पादन को बनाये रखने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन एवं डिजिटल तकनीक का कृषि में समावेश अत्यंत आवश्यक है। इस अवसर पर राज्यपाल ने सभी पुरस्कार प्राप्त करने वाले वैज्ञानिकों को बधाई दी।

विशिष्ट अतिथि डॉ. हिमांशु पाठक ने कृषि में उन्नत विज्ञान और प्रौद्योगिकी के एकीकरण के महत्व पर एक प्रेरक संदेश दिया। उन्होंने कहा कि भारत देष के 50 प्रतिषत से अधिक जनसंख्या कृशि पर निर्भर हैं अत: कृशि को हर एक प्रकार से सुदृढ़ किये जाने की आवष्यकता है। उन्होंने बायो टैक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे फर्टियर साईस पर अधिक से अधिक कार्य किये जाने की आवष्यकता है। डॉ. पाठक ने टिकाऊ कृषि प्रथाओं को विकसित करने की आवश्यकता पर बल दिया, जो न केवल उत्पादकता को बढ़ाएं बल्कि प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण भी करें।

विशिष्ट अतिथि एवं सचिव, राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी डॉ. वजीर सिंह लाकरा ने बड़ी संख्या में लोगों की भागीदारी पर प्रसन्नता व्यक्त की और कृषि अनुसंधान में उत्कृष्टता को मान्यता देने के महत्व पर प्रकाश डाला।

अपने स्वागत भाषण में विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. मनमोहन सिंह चौहान ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी को इस 17वें सम्मेलन के आयोजन के लिए सहमति देने के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया। उन्होंने देश के विभिन्न प्रदेशों तथा विदेशों यथा ऑस्ट्रेलिया, जापान, स्लोवेनिया, नेपाल आदि देशों से आये वैज्ञानिकों का स्वागत किया।

उद्घाटन में विभिन्न वैज्ञानिकों एवं विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले शोध पत्रों की पुस्तक जो कि चार अंकों में थी, का मुख्य अतिथियों द्वारा अनावरण किया गया। सम्मेलन में प्रतिभाग करने हेतु देश एवं विदेश से कुल 1800 वैज्ञानिकों एवं शोधकर्ताओं द्वारा पंजीकरण कराया गया है। सत्र का समापन आयोजन सचिव डॉ. अजीत सिंह नैन द्वारा दिए गए धन्यवाद प्रस्ताव के साथ हुआ, जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सभी गणमान्य व्यक्तियों, प्रतिभागियों और आयोजकों का आभार व्यक्त किया।

आज के युग में कैंसर सबसे घातकः प्रो देवेंद्र भसीन

जागरूकता की कमी के कारण होता है कैंसर का प्रसारः प्रो मीनू सिंह

20 फरवरी 2025 को पंडित ललित मोहन शर्मा श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय परिसर, ऋषिकेश के मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी विभाग व एम्स ऋषिकेश व कैंसर केयर एंड रिसर्च अकैडमी के संयुक्त तत्वावधान में दो दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जिसका विषय ''इंटीग्रेटिव ऑकोलॉजी और सिस्टम मेडिसिंस इमर्जिंग ट्रेंड्स एंड थैरेपीयूटिक पोटेंशियल'' का शुभारम्भ हुआ। जिसमें देश-विदेश के लगभग 50 से अधिक प्रबुद्ध कैंसर विशेषज्ञ प्रतिभाग कर रहे हैं।

इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में उच्च शिक्षा उन्नयन समिति के उपाध्यक्ष प्रो. देवेंद्र भसीन, विशिष्ट अतिथि मा. कुलपति, श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय, प्रो एन के जोशी, एम्स, ऋषिकेश की निदेशक, प्रो मीनू सिंह, डीन रिसर्च, एम्स, ऋषिकेश, प्रो शैलेन्द्र एस हांडू, विश्वविद्यालय परिसर, ऋषिकेश के निदेशक, प्रो एम एस रावत, श्री दिनेश चन्द्रा, कुलसचिव, श्री देव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय व इस सम्मलेन के आयोजक प्रो. गुलशन कुमार धींगरा, डीन, विज्ञान संकाय, प्रो. अनीसा आतिफ मिर्ज़ा, विभागाध्यक्ष, बायोकेमेस्ट्री विभाग एम्स ऋषिकेश, प्रो राना प्रताप सिंह, निर्देशक CRCA व प्रोफेसर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली ने संयुक्त रूप से मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर इस अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ किया। इस दौरान परिसर के कॉमर्स संकायअध्यक्ष प्रोफेसर कंचन लता सिन्हा, कला संकाय अध्यक्ष प्रो डीसी गोस्वामी, डीएसडब्ल्यू, प्रोफेसर प्रशांत सिंह व परिसर व एम्स की अन्य फैकल्टी व देश विदेशो से आये अन्य प्रतिभागिय व परिसर के छात्र छात्राएं मौजूद थे।

इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रो देवेंद्र भसीन ने आयोजकों को इस समसामयिक विषय पर आयोजित इस सममेलन के लिए शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि आज के युग में सबसे अधिक घातक कैंसर है जिसमे मरीज को जागरूकता की कमी के कारण भी अपनी जान गवानी पड़ती हैं। इसलिए जागरूरता की अत्यन्त आवश्यकता है। अपने भाषण में कैंसर पर हो रही अनुसंधान व जागरूकता पर जोर दिया।

कुलपति, श्री देव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय प्रो एन के जोशी ने सभी सम्मानित व्यक्ति जो भारत के विभिन्न क्षेत्र एवं विदेश से इस सेमिनार में प्रतिभाग कर रहे हैं उनका आभार व्यक्त किया और उन्हें सभी प्रतिभागियों को भरोसा दिया कि इस सेमिनार के माध्यम से स्टूडेंट, पीएचडी स्कॉलर और फैकल्टी को एक नया अनुभव और एक्स्पोज़र मिलेगा जिससे कि रिसर्च एक्टिविटी के लिए नया विजन मिलेगा और सभी को इसका लाभ मिलेगा।

एम्स, ऋषिकेश की निदेशक प्रोफेसर मीनू सिंह ने कहा कि ने कैंसर के आधुनिक तकनीकी से इलाज के साथ-साथ आयुर्वेदिक तकनीक के साथ कैंसर के इलाज व बचाव के बारे में अवगत कराया। इस दौरान प्रो मीनू ने तीनों संस्थाओं के बीच संयुक्त शोध साझा करने पर जोर दिया। प्रो राणा प्रताप सिंह ने कहा कि विकसित भारत 2024 का जो मा. प्रधानमंत्री जी का विजन है, जिसमे स्वास्थ्य प्रबंधन की एक मुख्य भूमिका होगी, क्योंकि स्वस्थ व्यक्ति से सवस्थ देश रहेगा। उन्होंने औषधीय पौधों पर अनुसंधान पर भी अधिक जोर दिया।

प्रो. अनीसा आतिफ ने सभी अतिथियों का स्वागत करते हुए कैंसर के विभिन्न प्रकारों के बारे में बताते हुए दो दिनों की कार्यशाला को विस्तार पूर्वक बताया एवं आए हुए कैंसर वैज्ञानिकों का परिचय करवाया। प्रोफेसर गुलशन कुमार धींगरा ने सभी अतिथियों का स्वागत किया तथा दो दिवसीय कार्यशाला की रूपरेखा को विस्तार से बताया। पंडित ललित मोहन शर्मा परिसर ऋषिकेश के निदेशक प्रोफेसर एम एस रावत ने देश विदेश से आए हुए सभी वक्ताओं का विश्वविद्यालय परिसर की ओर से अभिवादन एवं स्वागत किया एवं कहा की इस प्रकार के कार्यशालाओं से कैंसर अनुसंधान को बढ़ावा अवश्य मिलेगा। श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय के कुलसचिव श्री दिनेश चंद्र ने कहा कि विश्वविद्यालय की ओर से भविष्य में इस प्रकार के सम्मेलनों का आयोजन किया जाएगा, जिससे कैंसर के क्षेत्र में अनुसंधान कर रहे शोधार्थियों व वैज्ञानिकों को बढ़ावा मिलेगा।

अंत मे धन्यवाद प्रस्ताव एम्स ऋषिकेश की दो बेला गोयल ने ज्ञापित किया। कार्यक्रम का संचालन श्रीदेव सुमन परिसर ऋषिकेश की वनस्पति विज्ञान विभाग की डॉ प्रीति खंडूरी ने किया। कार्यक्रम के प्रथम सत्र में डिपार्टमेंट आर्फ माइक्रोबायोलॉजी बायोकेमेस्ट्री एंड मॉलेक्युलर जेनेटिक्स रेड कार स्कूल बायोमेडिकल एंड हेल्थ साइंस न्यू व्हाट न्यू जर्सी यूएसए के प्रोफेसर रेमंड बी ब्रिज ने फॉस्फेटिडिलसेरिन एक्सपोजर, तनाव

और कोशिका मृत्यु: कैंसर में प्रतिरक्षा विनियमन पर व्याख्यान दिया।

इसी क्रम में प्रोफेसर जैरी चिपुक, आइकॉन स्कूल ऑफ मेडिसिन एंड माउंट्स ने एटीएफ5-आश्रित माइटोकॉन्ड्रियल अनफोल्डेड प्रोटीन प्रतिक्रिया ऑन्कोजेनिक भाग्य का समन्वय पर जानकारी दी। डिपार्टमेंट ऑफ़ फार्मास्यूटिकल साइंस यूनिवर्सिटी का कोलोरेडो डेनवर यूएसए से प्रोफेसर राजेश अग्रवाल ने Ptch+- चूहों में बेसल सेल कार्सिनोमा वृद्धि और प्रगति के खिलाफ सिलिबिनिन प्रभावकारिता पर जानकारी थी। कार्यक्रम के तृतीय तकनीकी सत्र में प्रोफेसर सी वी राव, ने कैंसर रोकथाम और औषधि विकास केंद्र, पीसी स्टीफेंसन ओक्लाहोमा कैंसर सेंटर, ओयूएचएससी, ओक्लाहोमा सिटी, यूएसए ने मोटापे से जुड़े कोलोरेक्टल कैंसर की रोकथाम और उपचार के लिए PGE 2/IL-23/FXR को लक्ष्य बनाने में व्याख्यान दिया। इसी क्रम में स्कूल ऑफ मेडिसिन, ओरेगन हेल्थ एंड साइंस सेंटर, यूएसए से प्रोफेसर संजय मल्होत्रा ने ओवेरियन कैंसर से लड़ने वाले कारक के बारे में व्याख्यान दिया।

स्पेशल सेंटर फॉर सिस्टम्स मेडिसिन, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली के प्रोफेसर राकेश के त्यागी ने जिनोम रिसेप्टर्स द्वारा डीएनए और हिस्टोन में रासायनिक संशोधनों के माध्यम से जीन अभिव्यक्ति को विनियमित करने की प्रक्रिया को समझाया।

इसी क्रम में प्रोफेसर अशोक कुमार, औषधीय और औषधि विज्ञान विभाग, फार्मेसी कॉलेज, ह्यूस्टन विश्वविद्यालय, ह्यूस्टन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ने कैंसर कैचेक्सिया के दौरान कंकाल की मांसपेशियों की नए नियामकता पर व्याख्यान दिया। तकनीकी सत्र की अध्यक्षता प्रोफेसर गुलशन कुमार ढींगरा प्रोफेसर अनीता आतिफ प्रोफेसर अजय सिंह प्राचार्य उत्तरांचल यूनिवर्सिटी देहरादून, डॉ गगन माटा गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार तथा श्री देव सुमन परिसर ऋषिकेश की प्रोफेसर कंचन लता सिंह ने किया। कार्यक्रम के अगले सत्र में स्कूल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के प्रो रूपेश चतुर्वेदी ने टी-हेल्पर कोशिका उपप्रकारों के सटीक वर्गीकरण के लिए एकीकृत मॉडलिंग मैं व्याख्यान दिया।

आंतरिक चिकित्सा और पैथोलॉजी विभाग, ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी, यूएसए के प्रोफेसर सुजित बसु ने कोलन कैंसर में न्यूरोट्रांसमीटर/न्यूरोहॉर्मोन डोपामाइन की भूमिका पर प्रकाश डाला।

कार्यक्रम के अगले सत्र में प्रोफेसर प्रभु दास पटेल, अध्यक्ष के एच अस्पताल, इदर अनुसंधान सलाहकार, डॉ. जीवराज मेहता अस्पताल, अहमदाबाद ने मुख कैंसर का आनुवंशिक परिदृश्य: कम्प्यूटेशनल और बायोमॉलिक्यूलर दृष्टिकोण का उपयोग पर चर्चा की। इस तकनीकी सत्र की अध्यक्षता प्रोफेसर शैलाभ जौहरी हेड माइक्रोबायोलॉजी दून मेडिकल कॉलेज, डॉ सरमा साहा, एम्स ऋषिकेश तथा डॉ संगीता मदान गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार ने सत्र की अध्यक्षता की।

कार्यक्रम के चतुर्थ तकनीकी सत्र में साउथ डकोटा स्टेट यूनिवर्सिटी, यूएसए की डॉक्टर कमल रैना ने टीएनबीसी ट्यूमरोजेनेसिस के खिलाफ प्राकृतिक गैलेक्टागॉग एस्पैरागस रेसमोसस (रूट एक्सट्रैक्ट-शतावरी) के साथ स्तन ग्रंथि वास्तुकला मॉडयूलेशन का प्रभाव की जानकारी प्रतिभागियों को दी। जैव प्रौद्योगिकी विभाग, डीडीयू गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश के प्रो. शरद मिश्रा ने पूर्वी उत्तर प्रदेश में कैंसर पर आर्सेनिक प्रदूषण का प्रभाव और इसका संभावित उपचार विषय पर जानकारी दी।

कार्यक्रम के अगले सत्र में जूलॉजी विभाग दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर आलोक चंद्र भारती ने सर्वाइकल कैंसर के साथ कैंसर स्टेम कोशिकाओं मैं कैंसर की पुनरावृत्ति पर पर अपना व्याख्यान दिया।

इस सत्र की अध्यक्षता श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय परिसर ऋषिकेश के प्रोफेसर डीसी गोस्वामी प्रोफेसर प्रशांत सिंह तथा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बस्ती के प्राचार्य तथा हेड डिपार्टमेंट ऑफ़ फिजियोलॉजी डॉ मनोज कुमार ने की।

कार्यक्रम के अंतिम सत्र में मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी विभाग के छात्र-छात्राओं द्वारा रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सभी आमंत्रित वक्ताओं तथा अध्यक्षता कर रहे विषय विशेषज्ञों को स्मृति चिन्ह भेंट की गई।

इस सम्मेलन की आयोजन सचिव डॉ बिंदु देवी व डॉ बेला गोयल ने कहा कि अगले दिन के कार्यक्रम एम्स ऋषिकेश में संपन्न होंगे जिसमें अन्य कैंसर वैज्ञानिक अपने अनुसंधान को सजा करेंगे।

राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (से. नि.) ने रविवार को नई दिल्ली में बियॉन्ड फीयर: ए पर्सनल जर्नी टू सोमा पुस्तक का विमोचन किया। मेजर जनरल जी. डी. बख्शी (से.नि.) द्वारा लिखित यह पुस्तक न केवल एक योद्धा की अद्वितीय सैन्य यात्रा को दर्शाती है, बल्कि आत्म-खोज और आध्यात्मिक उत्कर्ष के गहन रहस्यों को भी उजागर करती है।

राज्यपाल ने कहा कि लेखक द्वारा इस पुस्तक में बाहरी रणभूमि में संघर्ष करते हुए भी, आंत. रिक शांति और दिव्यता की अनुभूति के बारे में बताया गया है। उन्होंने इस अद्भुत कृति के लेखक को उनके प्रेरणादायक विचारों और गहरे आध्यात्मिक दृष्टिकोण के लिए हार्दिक बधाई दी। राज्यपाल ने विश्वास जताया कि यह पुस्तक निश्चित रूप से आत्म-खोज की यात्रा पर चलने वाले हर व्यक्ति के लिए एक मार्गदर्शक सिद्ध होगी।

जानिए कैसा होगा आपका यह सप्ताह

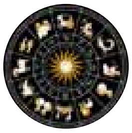
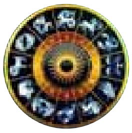
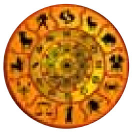

पं. दीपक प्रसाद, शास्त्री (मो. 9557730042)
(ज्योतिष, कर्मकाण्ड, धर्मिक अनुष्ठान आदि)

मेष राशि- धन प्राप्ति के अवसर बन रहे हैं, सिर्फ उन अवसरों को पहचान कर लाभ उठाने की जरूरत है। समान विचारधारा के लोगों से मेल-मिलाप एक नई ऊर्जा देगा। विपरीत परिस्थितियों में घबराने की बजाय समस्या का हल ढूंढ लेंगे और कामयाब भी रहेंगे। ध्यान रखें वक्त के अनुसार अपने स्वभाव में बदलाव लाना जरूरी है।

वृषभ राशि- व्यवस्थित दिनचर्या रहेगी। आपकी तरक्की के लिए कोई द्वार खुल रहा है, सिर्फ अत्यधिक मेहनत की जरूरत है। विद्यार्थियों को आशा के अनुरूप परिणाम मिलने से सुकून और खुशी मिलेगी। घर में रिश्तेदारों का आना-जाना लगा रहेगा। फिजूल की गतिविधियों से ध्यान हटाकर अपने घर और व्यवसाय पर ध्यान दें।

मिथुन राशि- अगर कोई विशेष निर्णय लेने जा रहे हैं तो पहले उससे संबंधित पूरी जानकारी हासिल कर लें। इससे आपको अवश्य ही सफलता मिलेगी। किसी सराहनीय कार्य की वजह से समाज में मान-सम्मान भी मिलेगा। युवा वर्ग बहुत समय से अपने करियर को लेकर संघर्षरत थे तो आज तनाव से कुछ राहत मिलेगी। वाद-विवाद से दूर रहें।

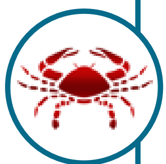

कर्क राशि- आपके साथ कोई ऐसी घटना घटित होगी, जिसके बारे में आपने कभी अनुमान भी नहीं लगाया होगा। आपको किसी ईश्वरीय शक्ति का आभास होगा। प्रॉपर्टी संबंधी कोई निर्णय लेने में वरिष्ठ लोगों का मार्गदर्शन मिलेगा और आप समस्या से बच जाएंगे। घर में बच्चों की संगति और उनकी गतिविधियों पर नजर रखना जरूरी है।

सिंह राशि- अपनी योजनाओं को कार्य रूप देने के लिए उचित समय है। इसलिए समय का प्रबंधन करें और पूरी शिद्दत से उस पर मेहनत करें। पैतृक संपत्ति संबंधी मामलों को हल करने में किसी वरिष्ठ सदस्य का मार्गदर्शन मिलेगा और जल्दी ही समाधान भी मिलेगा। अपने व्यक्तिगत कार्य को समय पर पूरा करने की कोशिश करें।

कन्या राशि- आज दिन भर अपने मन मुताबिक कार्यों में समय व्यतीत करेंगे, ऊर्जावान और प्रफुलित महसूस करेंगे। कोई उधार दिया हुआ पैसा वापस मिलने से आर्थिक समस्या हल हो जाएगी। संतान पक्ष की ओर से कोई खुशखबरी मिलेगी और परिवार के साथ डिनर का लुत्फ उठाएंगे। कभी-कभी थोड़ा स्वार्थी होना जरूरी है। अपने ऊपर सामर्थ्य से ज्यादा अतिरिक्त कार्यभार न लें।

तुला राशि- सुखद ग्रह स्थिति बन रही है। किसी मित्र या सहयोगी से फोन के माध्यम से कोई महत्वपूर्ण सूचना मिलेगी, जो कि बहुत फायदेमंद भी साबित होगी। कुछ समय मन मुताबिक कार्यों में व्यतीत करके आप प्रफुल्लित और तनावमुक्त महसूस करेंगे। पर्सनल लाइन से संबंधित किसी भी प्रकार का रिस्क लेने से परहेज करें। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा।

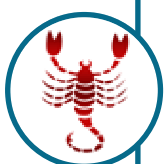

वृश्चिक राशि- अपने मन पसंद के कार्यों को प्राथमिकता देते हुए दिन व्यतीत करें। मेलजोल बढ़ेंगे तथा ये संपर्क आपके लिए फायदेमंद साबित होंगे। प्रॉपर्टी की खरीद-फरोख्त संबंधी रुके हुए कार्य आज गति में आएंगे। फाइनेंस संबंधी कोई कार्य भी आज संपन्न हो सकता है। पैतृक संबंधी कार्यों में कुछ व्यवधान आएंगे, इस वजह से वाद-विवाद भी संभव है।

धनु राशि- सामाजिक और समिति संबंधी कार्यों में योगदान देना आपकी पहचान बढ़ाएगा। आपकी लोकप्रियता के साथ जनसंपर्क का भी दायरा बढ़ेगा। कुछ राजनीतिक लोगों के साथ लाभदायक मुलाकात होगी। घर में धार्मिक कार्य करने की योजना बन सकती है। व्यक्तिगत मामलों को लेकर चल रहे तनाव का असर आपकी कार्य क्षमता पर होगा।

मकर राशि- कुछ संभावनाएं सामने आएंगी। अपनी क्षमता और प्रतिभा को पहचानें। इस समय की गई मेहनत से निकट भविष्य में निश्चित परिणाम हासिल होने वाले हैं। परिवार से जुड़े किसी फैसले में अप्रत्याशित सफलता मिलने की स्थिति बन रही है। पड़ोसियों के साथ किसी छोटी सी बात को लेकर वाद-विवाद की स्थिति बन सकती है।

कुंभ राशि- अनुकूल ग्रह स्थिति बनी हुई है, आपके आत्मविश्वास और आत्म बल को और अधिक प्रबल कर रही हैं। सोसाइटी अथवा सामाजिक गतिविधियों में आपकी उपस्थिति रहेगी तथा संपर्क दायरा भी बढ़ेगा। युवाओं को भविष्य संबंधी कोई निर्णय लेने में किसी खास व्यक्ति का मार्गदर्शन मिलेगा। नकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों के साथ मेलजोल रखते समय सावधान रहें।

मीन राशि- व्यवसायिक और व्यक्तिगत गतिविधियां व्यवस्थित रहेंगी। किसी ऐतिहासिक स्थल पर घूमने जाने का प्रोग्राम बन सकता है। जिससे आप शांति और हल्कापन महसूस करेंगे। आपको घर के किसी वरिष्ठ सदस्य की तरफ से कीमती उपहार मिल सकता है। विवादित स्थिति बनने पर शांति पूर्ण तरीके से समस्या को सुलझाने का प्रयास करें।

R.N.I.: UTTHIN/2010/41629 | Postal Regd. UA/DO/DDN/01/2025-2027